पंचम माला, खंड 65, अंक 6, शनिवार, 30 अक्तूबर, 1976/कार्तिक 8, 1898 (शक)

Fifth Series, Vol. LXV, No. 6, Saturday, October 30, 1976/ Kartika 8, 1898 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

PARLIAMENT LIBRARY

Acc. No.

[अठारहवां सत्र / Eighteenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 65 में अंक 1 से 11 तक हैं / Vol. LXV contains Nos. 1 to 11]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये | Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और समें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची / CONTENTS

अंक 6, शनिवार, 30 अक्तूबर, 1976/8 कार्तिक, 1898 (शक)

No. 6, Saturday, October 30, 1976/Kartika 8, 1898 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers laid on the Table	1—3
सभा का कार्य	Business of the House	3—5
विद्युत (प्रदाय) संशोधन विधेयक—पुर:स्थापित	Electricity (Supply) Amendment Bill—Introduced	5
विद्युत (प्रदाय) संशोधन अध्यादेश, 1976—	Statement re. Electricity (Supply) Amendment Ordinance' 1976—	
श्री कृष्णचन्द्र पंत	Shri K.C. Pant	6
संविधान (44वां संशोधन) विधेयक—	Constitution (Forty-fourth Amendment) Bill—	
खंड 17 ` 42	Clauses 17 to 42	6—42
कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—	
65वां प्रतिवेदन	Sixty-fifth Report	42

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

पंचम लोक सभा

अ

अंकिनीडू श्री मगन्ती (गुडिवाडा)
अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुरादाबाद)
अग्रवाल, श्री श्रीकृष्ण (महासमुन्द)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अंसारी श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अप्पालानायडु, श्री (अनकपल्ली)
अम्बेश, श्री (फ़िरोजाबाद)
अरविन्द नेताम, श्री (कांकेर)
अलगेशन, श्री ओ० वी० (तिरुत्तनी)
अवधेश, चन्द्र सिंह (फ़रुखाबाद)
अहिरवार, श्री नाथू राम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री सैयद अहमद (बारामूला)
आजाद, श्री भगवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)
आस्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

इ

इसहाक, श्री ए० के० एम० (बसिरहाट)

उ

उइके, श्री मंगरू (मंडला)
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (बडागरा)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहारडागा)
उरांव, श्री टूना (जलपाईगुडी)
उलगनवी, श्री आर० पी० (वैल्लर

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंगल भारतीय)
एगती, श्री बीरेन (दीफू)

क

ककोटी, श्री रोबिन (डिब्रूगढ़)
कछवाय, श्री हुकम चन्द (मुरैना)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कडनापल्ली, श्री रामचन्द्रन (कासरगोड)
कतामुतु, श्री एम० (नागापट्टिनम)
कदम, श्री जे० जी० (वर्धा)
कदम, श्री दत्ताजीराव (हतकंगले)
कपूर, श्री सतपाल (पटियाला)
कमला कुमारी, कुमारी (पालामाऊ)
कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर)
कर्ण सिंह, डा० (ऊधमपुर)
कर्णी सिंह, डा० (बीकानेर)
कल्याणसुन्दरम, श्री एम० (तिरुचिरापल्ली)
कलिंगारायार, श्री मोहनराज (पोलाची)
कादर, श्री एस० ए० (बम्बई मध्य दक्षिण)
कांबले, श्री एन० एस० (पढ़रपुर)
काबले, श्री दी० डी० (लातुर)

काकोडकर, श्री पुरुषोत्तम (पंजिम)
कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)
कावड़े, श्री वी० आर० (नासिक)
काहनडोल, श्री (मालेगांव)
किन्दर लाल, श्री (हरदोई)
किरुतिनन, श्री श्रा (शिवगंज)
किस्कु, श्री ए० के० (झाड़ग्राम)
कुरील, श्री बैजनाथ (रामसनेहीघाट)
कुरेशी, श्री मोहम्मद शफ़ी (अनन्तनाग)
कुलकर्णी, श्री राजा (बम्बई उत्तर पूर्व)
कुशोक बाकुला, श्री (लद्दाख)
केदार नाथ सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
कैलास, डा० (बम्बई दक्षिण)
केवीचुसा, श्री ए० (नागालैंड)
कोलाशट्टी, श्री ए० के० (बेलगांव)
कोया, श्री सी० एच० मोहम्मद (मंजेरी)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कृष्णन, श्री ई० आर० (सलेम)
कृष्णन, श्री एम० के० (पोन्नानि)
कृष्णन, श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णन, श्रीमती पार्वती (कोयम्बटूर)
कृष्णप्पा, श्री एस० वी० (हस्कोट)
कृष्णा कुमारी, श्रीमती (जोधपुर)

ख

खाडिलकर, श्री आर० के० (बारामती)
खां, आई० एच० (बारपेट)

ग

गंगादेव श्री पी० (अंगुल)
गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गणेश, श्री के० आर० (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री टी० एच० (नानदरबार)
गांधी, श्रीमति इंदिरा (रायबरेली)
गायकवाड़, श्री फ़तेहसिंह राव (बड़ौदा)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
गिरि, श्री एस० बी० (वारंगल)
गिरि, श्री वी० शंकर (दमोह)
गिल, श्री महेन्द्र सिंह (फ़िरोजपुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुह, श्री समर (कन्टाई)
गेंदा सिंह, श्री (पदरोना)
गोखले, श्री एच० आर० (बम्बई उत्तर पश्चिम)
गोटखिन्डे, श्री अण्णासाहिब (सांगली)
गोगोई, श्री तरूण (जोरहाट)
गोदरा, श्री मनीराम (हिसार)
गोपाल, श्री के० (करूर)
गोपालन, श्री ए० के० (पालघाट)
गोमांगो, श्री गिरधर (कोरापुट)
गोयन्का, श्री आर० एन० (विदिशा)
गोस्वामी, श्री दिनेश चन्द्र (गोहाटी)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गोहेन, श्री सी० सी० (नाम निर्देशित आसाम का उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र)
गोडफ्रे, श्रीमती एम० (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)
गौडर, श्री जे० माता (नीलगिरि)
गौडा, श्री पम्पन (रायचूर)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री पी० के० (रांची)

च

चकलेश्वर सिंह, श्री (मथुरा)

चटर्जी, श्री सोमनाथ (बर्दवान)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (ऐटा)
चन्द्र गौडा, श्री डी० वी० (चिकमगलूर)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (तेल्लीचेरी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्र शेखरप्पा वीर बासप्पा, श्री डी० वी० (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रिका प्रसाद, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड़)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा)
चावड़ा, श्री के० एस० (पाटन)
चिक्कलिंगैया, श्री के० (मांडया)
चित्तिबाबू, श्री सी० (चिंगलपट)
चिन्नाराजी, श्री सी० के० (तिरुपत्तूर)
चेलाचामी, श्री ए० एम० (टेंकासी)
चौधरी, श्री अमर सिंह (मांडवली)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री त्रिदिव (बरहमपुर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (होशंगाबाद)
चौधरी, श्री बी० ई० (बीजापुर)
चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

छ

छुट्टन लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
छोटे लाल, श्री (जैल)

ज

जगजीवनराम, श्री (सासाराम)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दनन, श्री सी० (त्रिचूर)
जमीलुर्रहमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
जयलक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)
जाफ़र शरीफ़, श्री सी० के० (कनकपुरा)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)
जार्ज, श्री बरके (कोट्टायम)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहाजहांपुर)
जुल्फ़िकार अली खां, श्री (रामपुर)
जोज़फ़, श्री एम० एस० (पीरमाडे)
जोरदार, श्री दिनेश (माल्दा)
जोशी श्री जगगन्ननाथ राव (शाजापुर)
जोशी श्री पोपटलाल एम० (बनसकंठा)
जोशी श्रीमती सुभद्रा (चांदनी चौक)

झ

झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (जयनगर)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)
झुझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चितौड़गढ)

ट

टोम्बी सिंह, श्री एन० (आन्तरिक मनीप

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव, (चिमूर)
ठाकरे, श्री एस० वी० (यवतमाल)

ड

डागा, श्री मूल चन्द (पाली)
डोडा, श्री हीरा लाल (बांसवाड़ा)

ढ

ढिल्लों, डा० जी० एस० (तरनतारन)

त

तरोडकर, श्री वी० बी (नान्देड़)
तुलसीराम, श्री वी (पेछापल्लि)
तुलाराम, श्री (घाटमपुर)
तिवारी, श्री डी० एन० (गोपालगंज)
तिवारी, श्री रामगोपाल (बिलासपुर)

तिवारी, श्री शंकर (इटावा)
तिवारी, श्री चन्द्रभान मनी (बलरामपुर)
तेवरी श्रीपी० के० एम० (रामनाथपुरम)
तेयब हुसेन श्री (गड़गांव)

द

दंडपाणि श्री सी० डी० (धारापुरम)
दत्त श्री बीरेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दंडवते प्रो० मधु (राजापुर)
दरबारा सिंह श्री (होशियारपुर)
दलबीर सिंह श्री (सिरसा)
दलीप सिंह श्री (बाह्य दिल्ली)
दामाणी श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास; श्री अनाधि चरण (जाजपुर)
दास; श्री धरनीधर (मंगलदायी)
दास; श्री रेणुपद (कृष्णनगर)
दासचौधरी, श्री बी० के० (कूच बिहार)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित; श्री गंगाचरण (खण्डपा)
दीक्षित• श्री जगदीश चन्द्र (सीतापुर)
दीबीकन, श्री (कल्लाकरीची)
दुमादा, श्री एल० के० (डहानू)
दुबे; श्री ज्वाला प्रसाद (भण्डारा)
दुराईरासु, श्री ए० पेरम्बूलूर)
देव; श्री एस० एन० सिंह (बांकुरा)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)
देव, श्री राज राजसिंह (बोलनगीर)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती)
देशमुख, श्री शिवाजी, राव एस० (परभणी)
देशपांडे, श्रीमती रोजा (बम्बई मध्य)
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछलीशहर)

ध

धर्मगज सिंह, श्री (शाहाबाद)
धामनकर, श्री (भिवंडी)
धारिया, श्री मोहन (पूना)
धुसिया, श्री अनन्त प्रसाद (बस्ती)
धोटे, श्री जांबुवत (नागपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारीलाल (कैथल)
नरेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
नायक, श्री बक्शी (फूलबनी)
नायक, श्री बी० बी० (कनारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नाहाटा, श्री अमृत (बाडमेर)
निबालकर, श्री (कोल्हापुर)
नेगी, श्री प्रताप सिंह, (गढवाल)

प

पण्डा, श्री डी० के० (भंजनगर)
पंडित, श्री एस० टी० (भीर)
पजनौर, श्री अरबिन्द बाल (पांडेचेरी)
पटनायक, श्री जे० बी० (कटक)
पटनायक, श्री बनमाली (पुरी)
पटेल, श्री अरबिन्द एम० (राजकोट)
पटेल, श्री एच० एम० (ढ़ढुका)
पटेल, श्री नटवरलाल (मेहसाना)
पटेल, कुमारी मणिबेन (साबरकंठा)
पटेल, श्री नानू भाई एन० (बलसार)
पटेल, श्री प्रभुदास (डाभोई)
पटेल, श्री आर० आर० (दादर तथा नगरहवेली)

पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)
पालोडकर, श्री माणिकराव (औरंगाबाद)
पासवान, श्री राम भगत (रोसेरा)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिडौन)
पांडे, श्री कृष्ण चन्द्र (खलीललाबाद)
पांडे, श्री तारकेश्वर (सलेमपुर)
पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री नरसिंह नारायण (गोरखपुर)
पांडे, श्री रामसहाय (राजनन्द गांव)
पांडे, डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)
पांडे, श्री सरजू (गाजीपुर)
पांडे, श्री सुधाकर (चन्दौली)
पाओकाई, हाओकिप, श्री (ब्राह्मनीपुर)
पाटिल, श्री अनन्तराव (खेड़)
पाटिल, श्री ई० वी० विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री एस० वी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री कृष्णराव (जल-गांव)
पाटिल, श्री टी० ए० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री सी० ए० (धूलिया)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)
पारिख, श्री रसिकलाल (सुरेन्द्र नगर)
पार्थासारथी, श्री पी० (राजमपैट)
पिल्ले, श्री आर० बालकृष्ण (मावेलिकरा)
पुरती, श्री एम० एम० (सिंहभूमी)
पेजे, श्री एस० एल० (रत्नागिरि)
पैन्यूली, श्री परिपूर्णानन्द (टिहरी गढ़वाल)
प्रधान, श्री धनशाह (शाहडोल)
प्रधानी, श्री के० (शौरंगपुर)
प्रबोध चन्द श्री (गुरदासपुर)

ब

बनमाली बाबू श्री (सम्बलपुर)
बनर्जी श्री एस० एम० (कानपुर)
बनर्जी श्रीमती मकुल (नई दिल्ली)
बनेरा श्री हेमेन्द्र सिंह (भीलवाड़ा)
बड़े श्री आर० वी० (खरगोन)
बरूआ, श्री बेदब्रत (कालियाबोर)
बर्मन, श्री आर० एन० (बलूरघाट)
बसू, श्री ज्योतिर्मय (डायमण्ड हार्बर)
बसुमतारी, श्री डी० (कोकराझार)
बाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेटी)
बादल श्री गुरदास सिंह (फाजिलका)
बाबूनाथ सिंह श्री (सरगुजा)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्णन, श्री के० (अम्बलपुझा)
बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरूपति)
बासप्पा, श्री के० (चित्रदुर्ग)
बिष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह (अल्मोड़ा)
बीरेन्द्र सिंह, राव, श्री (महेन्द्रगढ़)
बूटासिंह, श्री (रोपड़)
बेरवा, श्री ओंकार लाल (कोटा)
बेसरा, श्री सत्य चरण (दुमका)
ब्रजराज सिंह, कोटा, श्री (झालावाड़)
ब्रह्मानन्दजी, श्री स्वामी (हमीरपुर)
ब्राह्मण, श्री रतनलाल (दार्जिलिंग)

भ

भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (शाहाबाद)
भट्टाचार्या, श्री एस० पी० (उलुबेरिया)
भट्टाचार्य, श्री जगदीश (धाटल)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री चपलेन्दु, (गिरिडीह)
भागीरथ, भंवर, श्री (झाबुआ)
भार्गव, श्री बशेश्वर नाथ (अजमेर)

भार्गवी, तनकप्पन श्रीमती (अडूर)
भाटिया श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भीष्मदेव, श्री एम० (नगरकरनूल)
भुवाराहन, श्री जी० (मैट्टूर)
भौरा, श्री भान सिंह (भटिंडा)

म

मलिक, श्री मुख्तियार सिंह (रोहतक)
मंड, श्री जगदीश नारायण (गोंडा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
'मधुकर', श्री कमला मिश्र (केसरिया)
मनहर, श्री भगतराम (जंजगीर)
मनोहरन, श्री के० (मद्रास उत्तर)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
महन्ती श्री सुरेन्द्र (केन्द्रपाडा)
महाजन, श्री वाई० एस० (बुलडाना)
महाजन, श्री विक्रम (कांगडा)
महापात्र, श्री श्याम सुन्दर (बालासोर)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
माझी, श्री भोला (जमुई)
मांझी, श्री कुमार (क्योंझर)
मांझी श्री गाजाधर, (सुन्दरगढ़)
मारक, श्री के० (तुर)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास दक्षिण)
मार्तण्ड सिंह, श्री (रीवा)
मालन्ना, श्री के० (मधुगिरि)
मालवीय, श्री के० डी० (डुमरियागंज)
मायावन, श्री वी० (चिताम्बरम्)
मायातेवर, श्री के० (डिंडिगुल)
मावलंकर, श्री पी० जी० (अहमदाबाद)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिश्र, श्री जनेश्वर (इलाहबाद)
मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाड़ा)
मिश्र, श्री जगन्नाथ (मधुबनी)
मिश्र श्री विभूति (मोतिहारि)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगूसराय)
मिश्र, श्री एस० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
मुखर्जी, श्री सरोज (कटवा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मूर्ति, श्री बी० एस० (अमालापुरम)
मुतुस्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोड़)
मुन्शी, श्री प्रियरंजन दास (कलकत्ता दक्षिण)
मुरुगनन्तम, श्री एस० ए० (तिरुनेलवैली)
मुरमू, श्री योगेशचन्द (राजमहल)
मेलकोटे, डा० जी० एस० (हैदराबाद)
मेहता, डा० जीवराज (अमरेली)
मेहता, श्री पी० एम० (भावनगर)
मेहता, डा० महिपतराय (कच्छ)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मोदी, श्री पीलू (गोधरा)
मोदी, श्री श्रीकिशन (सीकर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहम्मद इस्माइल, श्री एम० (बेरकपुर)
मोहम्मद ताहिर, श्री (पूर्णिया)
मोहम्मद यूसूफ श्री (सिवान)
मोहम्मद शरीफ़, श्री (पेरियाकुलम)
मोहसिन, श्री एफ़० एच० (धारवाड़ दक्षिण)
मौर्य, श्री बी० पी० (हापुड़)

य

यादव, श्री करन सिंह, (बदायूं)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)

यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद (कटिहार)
यादव, श्री नागेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधधेपुरा)
यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (खगरिया)

र

रघुरामैया, श्री के० (गुन्टूर)
रणबाहदुर, सिंह श्री (सिधी)
रवि, श्री वयालार (चिरयिकील)
राउत श्रीभोला (बगहा)
राज बहादुर, श्री (भरतपुर)
राजदेव सिंह, श्री (जौनपुर)
राजू, श्री एम० टी० (नरसापुर)
राजू, श्री पी० वी० जी० (विशाखापत्तनम)
राठिया, श्री उम्मेद सिंह (रायगढ़)
राधाकृष्णन, श्री एस (कुडलूर)
रामकंवार श्री (टोंक)
रामजी राम, श्री (अकबरपुर)
राम दयाल, श्री (बिनजौर)
रामदेव सिंह, श्री (महाराजगंज)
राम धन, (लालगंज)
राम प्रकाश, श्री (अम्बाला)
राम सिंह भाई, श्री (इन्दौर)
राम हैडाउ, श्री (रामटेक)
रामशेखर प्रसाद सिंह, श्री (श्री छप्परा)
राम सूरत प्रसाद श्री (बांसगांव)
रामसेवक, चौधरी (जालौन)
राम स्वरूप श्री (रार्बट गंज)
राम, श्री तुलमोहन (अरारिया)
राय, श्री एस० के० (सिक्किम)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्रीमती माया (रायगंज)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (सागर)
राव, श्रीमती बी० राधाबाई ए० (भद्राचलम)
राव, श्री नागेश्वर (मचिलीपट्टनम)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, डा० के० एल० (विजयवाडा)
राव, श्री के० नारायण (बोबिली)
राव, श्री जगन्नाथ (छत्रपुर)
राव, श्री पट्टाभिराम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी० अंकिनीडे प्रसाद (ओंगोल)
राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्री काकुलम)
राव, डा० बी० के० आर० वर्दराज (बेल्लारी)
राव, श्री एम० एस० संजीवी (काकीनाडा)
रिछरिया, डा० गोविन्ददास (झांसी)
रुद्र प्रताप सिंह श्री (बाराबंकी)
रेड्डी, श्री वाई ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० रामकृष्ण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री के० कोदन्डा रामी (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी० गंगा (आदिलवाद)
रेड्डी, श्री पी० एंथनी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री पी० नरसिंहा (चितुर)
रेड्डी, श्री पी० बायपा (हिन्दपुर)
रेड्डी, श्री पी० बी० (कावली)
रेड्डी, श्री बी० एन० (निरायालगुडा)
रेड्डी, श्री सिदराम (गुलबर्गा)
रोहतगी, श्रीमती सुशीला (बिलौर)

ल

लकप्पा, श्री के० (तमकुर)
लक्ष्मीकांतम्मा, श्रीमती टी० (खम्मम)
लक्ष्मीनारायणन्, श्री एम० आर० (तिंडिवनम)

लक्ष्मणन्, श्री टी० एस० (श्री पेरम्बदूर)
लम्बोदर बलियार, श्री (बस्तर)
लालजी, भाई श्री (उदयपुर)
लास्कर, श्री निहार (करीमगंज)
लुतफल हक, श्री (जंगीपुर)

व

वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (नवादा)
वर्मा, श्री फूलचन्द (उज्जैन)
वर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (ग्वालियर)
विकल, श्री रामचन्द्र (बागपत)
विजय पाल सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (चण्डीगढ)
विश्वनाथन्, श्री जी० (वान्डीवाश)
वीरभद्र सिंह, श्री (मंडी)
वीरय्या, श्री के० (पुदूकोटे)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
वेंकटासुब्बया, श्री पी० (नन्दयाल)
वेकारिया, श्री (जूनागढ)

श

शंकर देव, श्री (बीदर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोडी)
शंकर दयाल सिंह, (चतरा)
शफ़कत जंग, श्री (कराना)
शफ़ी, श्री ए० (चांदा)
शम्भूनाथ श्री (सेदपुर)
शमीम, श्री एस० ए० (श्रीनगर)
शर्मा, श्री ए० पी० (बक्सर)
शर्मा, श्री नवलकिशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री राम नारायण (धनबाद)
शर्मा, श्री राम रत्न (बांदा)
शर्मा, डा० शंकर दयाल (भोपाल)
शर्मा, डा० हरि प्रसाद (अलवर)
शशि भूषण, श्री (दक्षिण दिल्ली)
शाक्य, श्री महादीपक सिंह (कासगंज)
शास्त्री, श्री राजाराम (वाराणसी)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिवकुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाहनवाज खा, श्री (मेरठ)
शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी० (अहमदनगर)
शिनाय, श्री पी० आर० (उदीपी)
शिवनाथ सिंह, श्री (झुनझुन)
शिवप्पा, श्री एन० (हसन)
शुक्ल, श्री बी० आर० (बहराइच)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)
शेट्टी, श्री के० के० (मंगलोर)
शेर सिंह, प्रो० (झज्जर)
शेलानी, श्री चन्द (हाथरस)
शिवस्वामी, श्री एम० एस० (तिरूचेंडूर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (सिसरिख)
संतबख्श सिंह, श्री (फतेहपुर)
सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप, मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)
सक्सेना, प्रो० एस० एल० (महराजगंज)
सतीशचन्द्र, श्री (बरेली)
सत्पथी, श्री देवेन्द्र (ढेंकानाल)
सत्यनारायण, श्री बी० (पार्वतीपुरम)
सम्भली, श्री इसहाक (अमरोहा)
सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)
सांगलियाना, श्री (मिजोरम)

सांघी, श्री नरेन्द्र कुमार (जालौर)
साठे, श्री वसन्त (अकोला)
सामन्त, श्री एस० सी० (तामलूक)
साम्बिनाथन, श्री ए० पी० (गोबीचेट्टिपलयम)
साल्वे, श्री नरेन्द्र कुमार (बेथुल)
सावन्त, श्री शंकरराव (कोलाबा)
सावित्री श्याम, श्रीमती (आंवला)
साहा, श्री अजीत कुमार (विष्णुपुर)
साहा, श्री गदाधर (वीरभूम)
सिन्हा, श्री सी० एम० (मयूरभंज)
सिन्हा, श्री धर्मवीर (बाढ़)
सिन्हा, श्री आर० के० (फैजाबाद)
सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)
सिंह, श्री डी० एन० (हाजीपुर)
सिंह, श्री नवल किशोर (मुजफ्फरपुर)
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फूलपुर)
सिद्धय्या, श्री एस० एम० (चामराजनगर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, प्रो० (नालन्दा)
सिंधिया, श्री माधवराव (गुना)
सिंधिया, श्रीमती वी० आर० (भिंड)
सुदर्शनम, श्री एम० (नरसारावपेट)
सुन्दरलाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (कृष्णगिरि)
सुब्रावल, श्री (मयूरम)
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्यनारायण, श्री के० (एलूरू)
सैकिया, श्री इस्राजमुद (मारमागोआ)
सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (काजीकोड)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)
सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
सेन, डा० रानेन (बारसात)
सेन, श्री रोबिन (आसनसोल)
सैनी, श्री मुल्कीराज (देहरादून)
सोखी, सरदार स्वर्ण सिंह (जमशेदपुर)
सोमसुन्दरम, श्री एस० डी० (थंजावूर)
सोलंकी, श्री सोम चन्द (गांधीनगर)
सोलंकी, श्री प्रवीण सिंह (आनन्द)
सोहन लाल, श्री टी० (करोलबाग)
स्टीफन, श्री सी० एम० (मुवत्तुपुझा)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालंधर)
स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर (कोप्पल)
स्वेल, श्री जी० जी० (स्वायत्तशासी जिले)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर)
हनुमन्तय्या, श्री के० (बंगलौर)
हरिकिशोर सिंह, श्री (पुपरी)
हरि सिंह, श्री (खुर्जा)
हाजरा, श्री मनोरंजन (आरामबाग)
हालदार, श्री माधुर्य (मथुरापुर)
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द (औसग्राम)
हाशिम, श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)
हुडा, श्री नरूल (कछार)
होरो, श्री एन० ई० (खुन्टी)

लोक सभा

अध्यक्ष

श्री बी० आर० भगत

उपाध्यक्ष

श्री जी० जी० स्वैल

सभापति तालिका

श्री भागवत झा आजाद

श्री इसहाक सम्भली

श्री वसन्त साठे

श्री सी० एम० स्टीफन

श्री जी० विश्वनाथन्

श्री पी० पार्थसारथी

महासचिव

श्री श्यामलाल शकधर

भारत सरकार

मन्त्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री और अन्तरिक्ष मंत्री	श्रीमती इन्दिरा गांधी
विदेश मंत्री	श्री यशवन्त राव चव्हाण
कृषि और सिंचाई मंत्री	श्री जगजीवन राम
रेल मंत्री	श्री कमलापति त्रिपाठी
रक्षा मंत्री	श्री बंसीलाल
नौवहन और परिवहन मंत्री	डा० जी० एस० ढ़िल्लों
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	श्री एच० आर० गोखले
पैट्रोलियम मंत्री	श्री के० डी० मालवीय
उद्योग मंत्री	श्री टी० ए० पाई
निर्माण और आवास तथा संसदीय-कार्य मंत्री	श्री के० रघुरमैया
पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	श्री राज बहादुर
गृह मंत्री	श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी
रसायन और उर्वरक मंत्री	श्री पी० सी० सेठी
संचार मंत्री	डा० शंकर दयाल शर्मा
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री	डा० कर्ण सिंह
वित्त मंत्री	श्री सी० सुब्रह्मण्यम
नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री	श्री सैयद मीर कासिम

मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी राज्य मंत्री

वाणिज्य मंत्री	प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय
पूर्ति और पुनर्वास मंत्री	श्री राम निवास मिर्धा
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री	प्रो० एस० नूरूल हसन
ऊर्जा मंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पन्त
श्रम मंत्री	श्री रघुनाथ रेड्डी
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल
इस्पात और खान मंत्री	श्री चन्द्रजीत यादव

राज्य मंत्री

नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० सी० जार्ज
निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच० के० एल० भगत
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री	चौधरी राम सेवक
योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शंकर घोष
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शाहनवाज खां
उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री बी० पी० मौर्य
गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री	श्री ओम मेहता
रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री	श्री विट्ठल गाडगिल
राजस्व और बैंकिंग विभाग में प्रभारी राज्य मंत्री	श्री प्रणव कुमार मुखर्जी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद
रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मुहम्मद शफी कुरेशी
उद्योग पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० पी० शर्मा
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच० एम० त्रिवेदी

उप-मंत्री

पैट्रोलियम मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जियाउर्रहमान अंसारी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री	श्री देवव्रत बरुआ
विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बिपिन पाल दास
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० के० एम० इसहाक
रसायन और उर्वरक मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सी० पी० मांझी
गृह मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री एफ० एच० मोहसिन
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री अरविन्द नेताम
संचार मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री प्रभुदास पटेल
रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जे० बी० पटनायक
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री वी० शकरानन्द
ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सिद्धेश्वर प्रसाद
इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सुखदेव प्रसाद
वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री	श्रीमती सुशीला रोहतगी

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बूटा सिंह
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री दलबीर सिंह
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री केदारनाथ सिंह
वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री धर्मवीर सिंह
पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जी० वेंकटास्वामी
श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बाल गोविन्द वर्मा
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री डी० पी० यादव

लोक सभा
LOK SABHA

शनिवार, 30 अक्तूबर, 1976 / 8 कार्तिक, 1898 (शक)

Saturday, October 30, 1976|Kartika 8, 1898 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

सभा पटल पर रखे गये पत्र
Papers laid on the Table

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें तथा मशीन टूल कारपोरेशन आफ इंडिया के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की समीक्षा

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : मैं श्री टी० ए० पाई० की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:--

(1) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 9 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सां०आ० 683 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 19 अक्तूबर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 11444/76]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) मशीन टूल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, अजमेर के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मशीन टूल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, अजमेर का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 11445/76]

नारियल जटा बोर्ड का अर्धवार्षिक प्रतिवेदन

श्री ए० पी० शर्मा : मैं नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत 1 अप्रैल, 1975 से 30 सितम्बर, 1975 की अवधि के नारियल जटा बोर्ड के कार्यकलापों तथा नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 के कार्यकरण के सम्बन्धी अर्धवार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 114446/76]

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) गेहूं बेलन आटा मिल (लाइसेंसिंग और नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 4 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1296 में प्रकाशित हुआ था।

(2) अन्तर्क्षेत्रीय गेहूं और गेहूं उत्पाद (लाने-ले-जाने पर नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 15 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 804 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(3) दिल्ली बेलन मिल गेहूं उत्पाद (मिल द्वारा और फुटकर) मूल्य नियंत्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 20 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 809(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(4) चावल और धान (दक्षिणी क्षेत्र) लाने-ले-जाने पर नियंत्रण आदेश, 1976, जो दिनांक 6 अक्तूबर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 832 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(5) उत्तरी चावल क्षेत्र (लाने-ले-जाने पर नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 8 अक्तूबर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 835(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(6) सा० सां० नि० 836 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 8 अक्तूबर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कतिपय आदेशों को रद्द किया गया है।

(7) अन्तर्क्षेत्रीय गेहूं तथा गेहूं उत्पाद (लाने-ले-जाने पर नियंत्रण) चौथा संशोधन आदेश, 1976, जो दिनांक 13 अक्तूबर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 844 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(8) अन्तर्क्षेत्रीय गेहूं उत्पाद (लाने-ले-जाने पर नियंत्रण) आदेश, 1976, जो दिनांक 13 अक्तूबर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 845(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 11447/76]

सामान्य बीमा कारबार के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां० आ० 327(ङ) के शुद्धिपत्र सम्बन्धी अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): मैं अधिसूचना संख्या सां० आ० 3538 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 9 अक्तूबर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें सामान्य बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17 के अन्तर्गत सभा पटल पर रखी गई दिनांक 29 अप्रैल, 1976 की अधिसूचना संख्या सां० आ० 327(ङ) का शुद्धि पत्र दिया हुआ है, सभा पटल पर रखती हूं :–

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 11448/76]

सभा का कार्य

Business of the House

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया): मैं 1 नवम्बर, 1976 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं :–

(1) संविधान (44वां संशोधन) विधेयक, 1976 **(आगे खण्डवार विचार तथा पास करना)**

(2) वर्ष 1976–77 के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगों (रेल) पर चर्चा तथा मतदान।

(3) वर्ष 1974–75 के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (रेल) पर चर्चा तथा मतदान।

(4) वर्ष 1976–77 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान।

(5) वर्ष 1976–77 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (गुजरात) पर चर्चा तथा मतदान।

(6) पाण्डिचेरी विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1976 **(पुरःस्थापित, विचार तथा पास करना)**

(7) विद्युत (प्रदाय) संशोधन विधेयक, 1976 **(विचार तथा पास करना)**

Shri Ramavatar Shastri (Patna): We have raised many questions about non-official business.

अध्यक्ष महोदय : इस पर निर्णय लेने के लिये कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलायी गई है।

श्री डी० एन० तिवारी (गोपालगंज) : बिहार की बाढ़ एक महत्वपूर्ण विषय है। इस पर अवश्य चर्चा होनी चाहिये।

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra): I would request for discussion on floods and price rise.

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं दिये गये वचनों का पालन करता हूं। आज 12 बज कर 30 मिनट पर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हो रही है और हम इन सभी विषयों पर चर्चा के बारे में विचार करेंगे।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मंत्री महोदय को कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करना चाहिये, जिन पर हम अगले सप्ताह विचार करना चाहते हैं जिसके लिये मंत्री महोदय को सत्रावधि बढ़ाने की शीघ्रातिशीघ्र घोषणा करनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आप लोग चाहें तो मैं सब को एक-एक मिनट का समय देता हूं।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (कलकत्ता--दक्षिण) : जब भी हम कारखानों की तालाबन्दी आदि-आदि विषयों पर चर्चा करें, उस समय श्रम मंत्री तथा उद्योग मंत्री को सदन में उपस्थित रहना चाहिये।

प्रो० एस० एल० सक्सेना : (महाराजगंज) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने इस विधेयक के एक खंड के बारे में दो संशोधन दिये हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। हम इस विधेयक पर चर्चा के दौरान विचार कर सकते हैं।

Shri Ramavatar Shastri: I suggest that three days should be allocated for discussing all the raised questions like flood etc.

Mr. Speaker: All these questions have been discussed.

श्री नरसिंह नारायण पांडे (गोरखपुर) : गन्ने के मूल्यों का महत्वपूर्ण प्रश्न भी अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल किया जाना चाहिये। अभी तक गन्ने के न्यूनतम मूल्यों के बारे में कोई भी घोषणा नहीं की गयी है।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : देश की सबसे महत्वपूर्ण समस्यायें आज बाढ़ तथा मूल्यवृद्धि हैं।

अध्यक्ष महोदय : इनका जिक्र हो चुका है।

श्री परिपूर्णानंद पन्थूली (टिहरी-गढ़वाल) : गत अधिवेशन के दौरान कृषि मंत्री ने घोषणा की थी कि कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के किसानों की नकदी फसलों की मार्केटिंग के लिये एक फल तथा सब्जी विकास निगम की स्थापना की जायेगी। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इस दिशा में क्या कुछ कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। आप इस पर चर्चा चाहते हैं।

डा० हेनरी आस्टिन (एरणाकुलम) : रबड़ के मूल्यों में गिरावट के कारण केरल में एक गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी है। इस विषय पर सभा में चर्चा होनी चाहिये।

Shri Hanji Kishore Singh (Pupri): I want a discussion on the progress made under 20 point programme.

श्री शिवाजीराव एस० देशमुख (परमाणि) : सरकार ने चीनी उद्योग सम्बन्धी संपथ समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया है। इस प्रतिवेदन में 9 कारखानों को छोड़ दिया गया जिनमें से एक मेरे ही चुनाव क्षेत्र में है। इस विषय पर भी चर्चा होनी चाहिये।

श्री अमृत नहाटा (बाड़मेर) : 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर विचार करने के लिये आधे दिन का समय रखा जाना चाहिये।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : सहकारी ऋण समितियों को मान्यता न दिये जाने के कारण कर्नाटक में कृषि ऋण सम्बन्धी कार्य ठप्प पड़ा है। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए।

Shri Ishaq Sambhali (Amroha): I suggest that the session should be extended by three days for discussion on all the important issues raised by the hon. members.

श्री के० रघुरामैया : कार्य मंत्रणा समिति इन सभी सुझावों पर विचार करेगी। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद ही मैं सभा को बता सकूंगा कि सत्र को कितने दिन बढ़ाया गया है।

विद्युत् (प्रदाय) संशोधन विधेयक

ELECTRICITY (SUPPLY) AMENDMENT BILL

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948, का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

> "कि विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

विद्युत् (प्रदाय) संशोधन

अध्यादेश, 1976 के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE ELECTRICITY (SUPPLY) AMENDMENT ORDINANCE, 1976

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं विद्युत् (प्रदाय) संशोधन अध्यादेश, 1976 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

संविधान (44वाँ संशोधन) विधेयक--जारी

CONSTITUTION (44TH AMENDMENT) BILL—*contd.*

खंड 17

Clause 17

अध्यक्ष महोदय : अब हम संविधान (44वां संशोधन) विधेयक पर आगे खंडवार चर्चा करेंगे ।

प्रो० एस० एल० सक्सेना (महाराजगंज) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है । आपने कहा है कि मतदान सोमवार को होगा और उस समय तक 30 अथवा 40 खंडों पर चर्चा हो चुकेगी । क्या सदस्यों को याद रहेगा कि वे किस सम्बन्ध में अपना मतदान दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में इससे कोई कठिनाई पैदा नहीं होगी । सदस्यों के अनुरोध पर ही ऐसा किया जा रहा है ।

प्रो० एस० एल० सक्सेना : यह गैरकानूनी है । हर खंड की चर्चा के तुरन्त बाद ही मतदान होना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई गैरकानूनी नहीं है । अब हमें चर्चा जारी करनी चाहिए ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: (अलीपुर) : लोक सभा की कार्यावधि को 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष करने सम्बन्धी सरकारी संशोधन का क्या आधार है? कहा गया है कि चुनाव आर्थिक विकास में बाधक है ।

इस संशोधन के औचित्य के बारे में कोई भी दलील नहीं दी गयी है । श्री गोखले को इस सम्बन्ध में उचित दलील देनी चाहिए । क्या संसद अधिवेशनों द्वारा ही आर्थिक विकास सम्भव है। इस बात को सभी मानते हैं कि अब अनुशासन में कुछ ढील आ गयी है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है तथा मूल्य बढ़ रहे हैं। संसद के होते हुए हम यह सब नहीं रोक सके। इस बात की क्या गारंटी है कि इस संसद् को जारी रखने से स्थिति में सुधार होगा। लोक सभा की कार्यावधि को पहली बार बढ़ाते हुए मैंने कहा था कि इस बढ़ी अवधि का उपयोग 20 सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए किया जाना चाहिए और अगर ऐसा नहीं किया गया तो, मैंने यह चेतावनी दी थी कि , स्थिति बिगड़ जायेगी । मेरा ख्याल है कि हमारी कुछ आकांक्षाएं सही सिद्ध हो रही हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार गत 6 महीनों में मूल्यों में 12 प्रतिशत

वृद्धि हुई है। लोगों के सहयोग से औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है। इसके बावजूद भी मूल्य बढ़ रहे हैं। सत्तारूढ़ दल में आत्म संतोष पैदा हो गया है।

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : हम बहुत गंभीर हैं। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता से काफी सम्पर्क रखता हूं।

Shri Ramavatar Shastri (Patna): We have no objection to it.

श्री डी० बसुमतारी (कोकराझार) : (**व्यवधान**) :

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमारी यह राय है कि यदि सरकारी चुनाव करा दे तो इससे हमारा लोकतंत्र अधिक सशक्त हो जायेगा। क्योंकि जब कोई भी दल जनता के सामने जायेगा तो कम से कम जनता को यह तो बताएगा कि आपातस्थिति के दौरान क्या क्या किया है। और क्या कुछ करना शेष है। सत्तारूढ़ दल को संदेह है कि शायद उन्हें इतना बहुमत न मिले। मेरे कई कांग्रेसी मित्र कहते हैं कि यदि हम चुनाव करा लें तो हमें इससे भी अधिक बहुमत मिल सकता है। यदि ऐसा है तो फिर वे चुनाव क्यों नहीं कराते। जनता में सर्वत्र यह आशंका व्याप्त है कि इस संशोधन को पेश करने का उद्देश्य सरकार का यह है कि वे एक या दो वर्ष और सत्ता में रहना चाहती हैं। यह स्वार्थ की बात है। इससे जनता की नजरों में किसी भी सदस्य की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी। अत : मेरा अनुरोध है कि सरकार इस संशोधन को वापस ले ले। जब हमारे दल के लोगों ने इस स्वर्णसिंह समिति के साथ इस बारे में चर्चा की थी तो वे कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं दे सके। वे केवल मुस्करा दिए (**व्यवधान**)

श्री सी० एम० स्टीफन : (मुवतुपुजा) : लोक सभा तथा राज्य सभा की कालावधि में अंतर क्यों हो ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह अंतर तो गत 27–28 वर्षों से ही चल रहा है। राज्य सभा की कालावधि 6 वर्ष इसलिए है क्योंकि हर दूसरे वर्ष उसके एक तिहाई सदस्य रिटायर होते हैं।

लोक सभा की कालावधि 6 वर्ष करने का यह प्रस्ताव आपत्तिजनक है और इसके बारे में कोई न्यायोचित तर्क नहीं दिया गया है। हम लोगों को क्या कह कर समझायेंगे कि यह कालावधि एक वर्ष क्यों बढ़ाई गई है। एक वर्ष की इस अतिरिक्त अवधि में कौन सा जादू कर लेगी। इस खंड को स्वीकार करने से विरोधी प्रवृत्तियां बढ़ने की संभावना है। यदि यही रवैया अपनाया गया तो फिर किसी प्रकार आर्थिक विकास नहीं हो पायेगा। किसी ने कहा है कि चुनावों का फायदा ही क्या है ? (**व्यवधान**)

मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और चाहता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाये।

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur): It is wrong to say that the Congress Party is reluctant to hold elections. We are not afraid of elections. In 1971 we had dissolved Lok Sabha one year before its completion of 5 year term and we sought fresh mandate of the people. This clearly shows that we do not hesitate to face the public. If we are extending the tenure of Lok Sabha by one year, our only aim is to consolidate the gains of emergency. If we do not consolidate the gains of the emergency, how the people will be benefited therefrom. Polls are not so important as the welfare of the people.

It has been alleged that there has been some relaxation in the atmosphere of discipline and increased production. If this is so, Government should be given more time to take stringent measures and control the situation.

At present the work of census of Scheduled Castes and Scheduled Tribes is going on and when it is competed there will be reallocation of seats. It is possible that some general seats may become reserved and some reserved seats may become general. But some time is required to complete this work.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : निस्संदेह हम बहुत ही महत्वपूर्ण खंड पर चर्चा कर रहे हैं और कई सदस्यों ने इसके पक्ष में तथा कुछ ने सके विरोध में तर्क दिए हैं। चुनाव इस समय कराये जायें अथवा नहीं, यह दूसरी बात है। किन्तु मैं इस बात का खंडन करता हूं कि लोक सभा की कालावधि 5 वर्ष की बजाय 6 वर्ष करने और वर्तमान लोक सभा की कालावधि में एक वर्ष की और वृद्धि अपने स्वार्थ को ध्यान में रखकर की गई है। हमने ऐसा कदापि नहीं किया है।

इस तरह के मामले पर विभिन्न मतों का होना स्वाभाविक है। किन्तु स्वार्थ की बात इसमें बिल्कुल भी नहीं है। यदि यह प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो इससे सभी लोग लाभान्वित होंगे। (**व्यवधान**) असली बात यह है कि जब हमं इस तरह के किसी मामले पर विचार करते हैं तो हम केवल एक ही दल के लाभ को ध्यान में रखकर उस पर विचार नहीं कर सकते या उस पर कोई निर्णय नहीं ले सकते। इसमें कई व्यापाक मामले अन्तर्ग्रस्त है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह इस विश्वास के साथ कर रहे हैं कि चाहे वह काम अस्थायी रूप से लोकप्रिय न रहे। किन्तु हमें उसे करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए।

कुछ सदस्य इस प्रस्ताव के औचित्य के बारे में जानना चाहते हैं। पहली बात यह है कि मैं यह नहीं समझ पाया कि किसी भी कीमत पर इस सभा की कालावधि राज्य सभा की कालावधि से कम क्य. है।

संविधान सभा में जब इस खंड पर चर्चा हुई थी तो मैंने उसका अध्ययन किया किन्तु मुझे कहीं भी कोई औचित्य नजर नहीं आया कि राज्य सभा और लोक सभा की कालावधि में यह अंतर क्यों रखा गया है। उस समय भी यह कहना न्यायोचित होता कि यदि राज्य सभा की कालावधि 6 वर्ष होता है तो लोकसभा की कालावधि भी 6 वर्ष होनी चाहिए।

दूसरी बात यह ध्यान में रखी जानी है कि यदि यह कहा जाता है कि हम 6 वर्ष की कालावधि इसलिए कर रहे हैं कि शायद इससे हमें कुछ लाभ मिले तो यह सर्वथा गलत है। क्योंकि हम पहले अपने 6 वर्ष पूरे करने वाले हैं और यदि यह 6 वर्षों की कालावधि स्वीकार कर ली जाती है तो कोई भी यह नहीं कहेगा कि इस संशोधन द्वारा हमने अपना कार्यकाल बढ़ाया है।

यह दूसरी बात है कि किसी के इस मामले में विभिन्न विचार हों कि क्या लोक सभा की कालावधि 6 वर्ष हो। किन्तु स्वार्थ की बात बिल्कुल ही सामने नहीं आती क्योंकि सरकार का प्रस्ताव है कि 6 वर्ष की अवधि भविष्य के लिए होगी।

जब गत वर्ष हमने लोक सभा की कालावधि बढ़ायी थी तो सदस्यों को उस समय, यह विश्वास दिलाया गया था कि हमें एक वर्ष और चाहिए क्योंकि आपात स्थिति चल रही है और देश में एक राजनीतिक तथा आर्थिक कार्यक्रम और 20 सूत्री कार्यक्रम आरम्भ कर दिया गया है। अत:

सारी बात यह है कि आपात स्थिति के दौरान हमें अपनी राजनीतिक तथा आर्थिक प्रणाली के सभी पहलुओं पर कमर कस कर कार्य करना चाहिए।

मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त की इस बात से सहमत हूं कि यदि अनुशासन में कोई ढील आती है, यदि हमारे प्रयासों में कोई शिथिलता आती है तो हमें इसकी जांच करनी चाहिए और देखना चाहिए कि हमने क्या किया है तथा हम कहां असफल हुए हैं और अब हमें क्या करना चाहिए ताकि हम शिथिलता न आने दें। मैं इन सब बातों से सहमत हूं। किन्तु बात यह है कि कार्यक्रम स्वीकार कर लिया गया है अतः अनुशासन के साथ उसे कार्यान्वित करना है और हमें विभिन्न दृष्टिकोणों से हर चीज को देखना है। इस बात से कोई भी इंकार नहीं कर सकता। अतः हमें 6 वर्ष की अवधि के प्रश्न को इस बात के साथ नहीं जोड़ना कि क्या चुनाव अब हो रहे हैं अथवा नहीं। हमें समूची स्थिति को इसके सही परिप्रेक्ष्य में देखना है।

मुझे विश्वास है कि अभी भी हम ऐसी स्थिति में हैं, जहां गड़बड़ी फैलाने वाली शक्तियां मौजूद हैं, और वे देश में हिंसा का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। ऐसी सभी शक्तियां अभी समाप्त नहीं हुई हैं। उनकी गतिविधियां अभी जारी हैं और बल्कि वे अब अधिक खतरनाक ढंग से अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। अतः मैं नहीं समझता कि हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं, जिसमें देश के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए चुनाव कराना वांछनीय होगा। हमें चुनावों के परिणामों को ध्यान में रखना है। इससे हमारी आर्थिक, राजनीतिक पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। चुनाव कब करायें। इस बारे में निर्णय लेने से पूर्व हमें न सब बातों को ध्यान में रखना है।

यह नहीं कहा जाना चाहिए कि देश में चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति की यह शुरूआत है। इस देश में हम निश्चित ही चुनाव स्थगित नहीं करना चाहते। बल्कि हमारा विश्वास है कि केवल चुनावों से ही जनता की लोकतांत्रिक भावना परिलक्षित होती है। हमारा हमेशा यही विचार रहा है और जहां तक कांग्रेस दल का सम्बन्ध है, हमारा सदैव यही दृष्टिकोण रहेगा।

मैं यह समझता हूं कि यदि लोक तंत्र की दृष्टि से यह आवश्यक है कि चुनाव शीघ्र ही करवाये जायें परन्तु यदि हम देश के हित को दृष्टिगत रखें तो अभी चुनावों को स्थगित करना ही देश के हित में है। यद्यपि इस समय देश में कांग्रेस दल की स्थिति काफी अच्छी है।

मैं सदन को विश्वास में लेना चाहता हूं तथा यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सभा की कालावधि बढ़ाने के लिये मैं शीघ्र ही एक विधेयक प्रस्तुत करना चाहता हूं। हां, इसी सन्दर्भ में मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि सभा की कालावधि का सम्बन्ध वर्तमान संशोधनों से नहीं, अपितु उन्हीं कारणों को दृष्टिगत रखते हुए कालावधि की जा रही है जिन्हें दृष्टिगत रखते हुये आपातस्थिति की घोषणा की गई थी। मेरे बहुत से साथियों ने इस विधेयक के बारे में पूछा है परन्तु मैं सभा के समक्ष ही यह घोषणा करना चाहता हूं कि सम्भवतः इसी सत्र के दौरान ही पेश किया जायेगा।

मैंने खण्ड, संशोधनों तथा चुनावों की बात तो कर ली है। गत दो वर्षों से यहां जो चर्चा चल रही है उसे मैंने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना है। माननीय सदस्यों ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिये है। अध्यक्ष महोदय आप की अनुमति से मैं चाहता हूं कि उन

सुझावों के सन्दर्भ में मुझे सोमवार तक अपने संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये। मैं यह संशोधन उन्हीं खण्डों के बारे में प्रस्तुत करूंगा जिनकी कि चर्चा की जा चुकी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप इन खण्डों के बारे में संशोधन क्यों नहीं प्रस्तुत करते जिनके बारे में चर्चा हो चुकी है।

श्री एच० आर० गोखले : खैर अभी मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता।

खण्ड 18

Clause 18

श्री निम्बालकर (कोल्हापुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 256 प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं?

श्री एच० आर० गोखले : नहीं।

खण्ड 19

Clause 19

अध्यक्ष महोदय : इस पर कोई संशोधन नहीं है।

खण्ड 20

Clause 20

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : मैं अपना संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत करता हूं।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवतुपुजा) : मैं अपने संशोधन संख्या 111, 112 और 113 प्रस्तुत करता हूं।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी (चित्तूर) : मैं अपना संशोधन संख्या 218 प्रस्तुत करता हूं।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ (कोजीकोड) : मैं अपना संशोधन संख्या 307 प्रस्तुत करता हूं।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं अपने संशोधन संख्या 410 और 411 प्रस्तुत करता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं अपने संशोधन संख्या 463 और 464 प्रस्तुत करता हूं।

Shri Bibhuti Mishra: Regarding clause 20, I have given my amendment No. 10. In clause 20, it has been stated that if any questions about the disqualifications comes up, it will be referred to the President for decision, who would consult Election Commission before giving his decision. I think that it is not proper since the Election Commission is appointed by the Executive, it is better that President may obtain the opinion of a single Judge Commission appointed by the Supreme Court. An amendment to this effect should be made in the clause.

श्री सी० एम० स्टीफन : यह संतोष की बात है कि मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया है कि संशोधनों के बारे में उनका दृष्टिकोण व्यापक रहेगा तथा वह स्वयं संशोधन प्रस्तुत करेंगे। मैंने इस खण्ड 20 के लिये जो अपना संशोधन प्रस्तुत किया है उसके अन्तर्गत

यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति की अनर्हता का प्रश्न राष्ट्रपति को सौंपा जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह उपबन्ध अनावश्यक है तथा इसे संविधान में स्थान नहीं दिया जाना चाहिये।

अनुच्छेद 329(ख) के अन्तर्गत संसद् को किसी चुनाव को रद्द करने या इसके बारे में अपील के लिए तंत्र को स्थापना करने की शक्ति प्रदान की गई है। अब उसी शक्ति का उपयोग करते हुए हमने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम पारित किया है जिसमें यह उपबन्ध है कि यदि कोई व्यक्ति भ्रष्ट कार्य के लिए दोषी पाया जाता है तो उसका चुनाव अवैध घोषित कर दिया जायेगा। अतः जब हम यह कहते हैं कि भ्रष्ट कार्य का मामला हम राष्ट्रपति को सौंपें तो फिर क्या हम ऐसा करके उस प्रदत्त शक्ति को वापिस नहीं ले रहे हैं? क्या इसका अर्थ यह है कि यह कानून अब भी लागू रहेगा? अध्यक्ष महोदय को इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये।

एक और कठिनाई है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8क के अन्तर्गत यदि राष्ट्रपति यह आदेश दे दे कि इस मामले में अनर्हता है तो धारा 102 तत्काल उपयोग में लाई जायेगी। धारा 102(ङ) में कहा गया है कि यदि उपबन्ध के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अयोग्य सिद्ध हो जाता है तो वह संसद को किसी भी सभा के लिए सदस्य के रूप में नहीं चुना जा सकता। इस उद्देश्य के लिए संसद ने कानून बना रखा है। अतः यदि इस कानून के अन्तर्गत यदि किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित करना है तो फिर अनुच्छेद 102 के प्रयोग से, जो कि एक आदेशात्मक उपबन्ध है, वह व्यक्ति सभा का सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य हो जायेगा।

इस बारे में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा इस उपबन्ध के बीच परस्पर विरोध है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
Mr. Deputy Speaker in the chair.)

मेरे विचार से यह एक ऐसा मामला है जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत आता है। मैं नहीं समझता कि इसके लिए संविधान संशोधन की क्या आवश्यकता है अतः इसे हमें संसद की प्रत्यायुक्त शक्ति पर छोड़ देना चाहिए। अन्यथा इससे गंभीर जटिलताएं उत्पन्न हो जायेंगी। अतः मेरा विधि मंत्री से अनुरोध है कि वह इन सब पहलुओं पर विचार करें।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी (चित्तूर) : यदि अनुच्छेद अपने पूर्ववत रूप में ही रहता है तो फिर इससे कोई हानि नहीं है। संसद् अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय करने के लिए कानून द्वारा कोई समुचित अभिकरण स्थापित कर सकती है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार न्यायालय भ्रष्टाचार के आधार पर चुनाव की वैधता के प्रश्न की जांच कर सकते हैं और किसी चुनाव को रद्द कर सकते हैं या उसे अवैध करार दे सकते हैं। किन्तु अयोग्यता का प्रश्न निर्वाचन आयोग पर छोड़ दिया जाता था जिसकी राय पर राष्ट्रपति कार्यवाही करता था। अब हमने निर्वाचन आयोग की राय पूरी तरह परामर्शदात्री बना दी है जिसे

मानना राष्ट्रपति के लिए आवश्यक नहीं है। मेरे विचार से इससे समस्या हल नहीं होगी और यह हमारे लोकतांत्रिक परम्पराओं तथा सिद्धान्तो के अनुकूल नहीं होगा।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (कोजीकोड) : यह संशोधन संसद् या विधान सभा के किसी सदस्य के भ्रष्टाचार होने के कारण उसे अयोग्य घोषित करने के बारे में है। निर्वाचन आयोग की सलाह अंतिम मानी जानी चाहिए। इस संशोधन द्वारा यह कहा गया है कि राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात् अंतिम निर्णय लेगा। किन्तु राष्ट्रपति को ऐसे मामलो में मंत्रि परिषद् की सलाह पर कार्यवाही करनी होगी। इस से तो राष्ट्रपति मंत्रि मंडल के हाथों में कठपुतली बन कर रह जायेगा। हमें ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने देनी चाहिए। अतः राष्ट्रपति को निर्वाचन आयोग के साथ परामर्श करना चाहिए और उसकी सलाह अंतिम मानी जानी चाहिए।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (कलकत्ता-दक्षिण) : यदि इस अनुच्छेद में प्रस्तावित संशोधन किया जाता है तो यह भविष्य के लिए एक अद्भुत उपबन्ध होगा। इस समय एक उम्मीदवार की योग्यता अथवा अयोग्यता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत निश्चित की जाती है यदि यह अधिकार राष्ट्रपति को दे दिया जाता है तो यह राष्ट्रपति को मनमानी शक्ति देना है। इसके लिए यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति का कार्य लोकतांत्रिक और निपक्ष हो।

यह सर्व विदित तथ्य है कि चुनावों में धन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और इससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। एक उपबन्ध के द्वारा राष्ट्रपति को यह निर्णय देने का अधिकार भी दिया जा रहा है कि कोई सदस्य भ्रष्टाचार का दोषी है अथवा नहीं। यदि आवश्यक समझा जाए तो राष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक चुनाव न्यायाधिकरण की स्थापना की जाए। इसके सदस्य निर्वाचन आयोग के सदस्य और उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा उस राज्य की उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए जिससे सदस्य ने चुनाव लड़ा हो। यदि न्यायाधिकरण के निर्णय में विवाद हो अथवा उसके एक बराबर बराबर सदस्य विरोधी मत के हों तो राष्ट्रपति का निर्णय अन्तिम माना जाए। अन्यथा राष्ट्रपति बहुमत के निर्णय को घोषित कर दे। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य नहीं है।

श्री एम० कतामुत्तु (नागापट्टीनम) : इस विधेयक का खण्ड 20 सदस्यों को अयोग्य करार देने के लिए एक और आधार की व्यवस्था कर अनुच्छेद 103 में संशोधन करता है। यह स्वागत योग्य है। कोई भी चुनावों में रुपये की भूमिका को नकार नहीं सकता। अतः चुनाव में भ्रष्ट तरीकों के अपनाए जाने को समाप्त किया जाए। परन्तु प्रश्न यह कि यह निर्णय लेने का अधिकार किसे हो। मेरे संशोधन में यह निर्णय लेने का अधिकार उस सदन को दिया गया है, जिसका कि वह सदस्य हो, और इसके निर्णय को अन्तिम माना जाए। यही सही कदम होगा। परन्तु खण्ड 20 में यह अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। जब हमने संसद् को सर्वोच्च माना है तब अपने सदस्यों के आचरण के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार भी उसे देने में हिचकना क्यों। अतः मंत्री महोदय इस संशोधन को स्वीकार करें।

श्री एच० आर० गोखले : यह सही है कि वर्तमान संशोधन अनुच्छेद, 103 से सम्बन्धित है, परन्तु हमें अनुच्छेद 102 और 103 की व्यवस्थाओं तथा अनुच्छेद 326 पर भी विचार

करना होगा। अनुच्छेद 103 में "सदस्य चुने जाने" और "सदस्य बनने" सम्बन्धी अयोग्यताओं का उल्लेख है। इन दोनों की अयोग्यताओं में स्पष्ट अन्तर है। अनुच्छेद 102 को बिल्कुल नहीं छुआ गया है। अनुच्छेद 103 के सम्बन्ध में संशोधी विधेयक में एक खण्ड है। अनुच्छेद 103 में वह व्यवस्था नहीं है। अनुच्छेद 326 में भ्रष्ट तरीकों का उल्लेख पहले ही से है। इसलिए अनुच्छेद 326 के अन्तर्गत भ्रष्ट तरीकों के बारे में एक विधान बनाया जाना चाहिए। मूल व्यवस्था यह है कि न्यायालयों द्वारा एक बार निर्णय लेने पर उसके सामने छः वर्ष तक अयोग्य घोषित करने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता। इसमें संशोधन कर दिया गया है परन्तु एक चुनाव को भ्रष्टाचार के आधार पर रद्द करने का अधिकार न्यायालयों को पहले के समान ही प्राप्त है। अब प्रश्न यह है कि न्यायालय द्वारा भ्रष्ट तरीका घोषित करने पर क्या अयोग्यता घोषित की जाएगी। इसी की व्यवस्था यहां की गई है। यदि राष्ट्रपति यह देखे कि अपनाया गया भ्रष्ट तरीका नगण्य है तो वह यह निर्णय दे सकता है कि उस व्यक्ति को सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित न किया जाए।

दूसरी बात अवधि से सम्बन्धित है। न्यायालय भ्रष्ट तरीके अपनाया जाना सिद्ध करके चुनाव को रद्द कर सकती है। ऐसा हो सकता है कि सदस्य ने बहुत ही नगण्य सी भूल की हो। इसलिए वह उसे अगला चुनाव लड़ने से पूर्णता नहीं रोक सकती। यह भी सम्भव है कि अयोग्यता थोड़े समय के लिए ही हो। यहां हमने एक वर्ष का समय रखा है परन्तु एक वर्ष में भी वह उप-चुनाव नहीं लड़ सकता है।

तीसरी बात अवधि समाप्त करने अथवा कम करने की है। अयोग्यता समाप्त करने का उल्लेख किया गया। इसलिए पहली बार यह अधिकार राष्ट्रपति को दिया जा रहा है। वर्तमान उपबन्ध के अनुसार निर्वाचन आयोग अपना परामर्श देता है और उसे मानना राष्ट्रपति के लिये अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति का निर्णय अन्तिम माना जाएगा तथा वह केवल निर्वाचन आयोग से सलाह करेगा परामर्श का अर्थ सहमति नहीं है। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श के सम्बन्ध में मनमानी नहीं करेगा क्योंकि वह स्वयं जांच नहीं करेगा। मैं यह आशा करता हूं कि इस सम्बन्ध में प्रत्येक अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से करेगा। यही इस संशोधन का आधार है। मेरे माननीय मित्रों ने जो सुझाव दिए हैं, उनके लिए मैं उनका आभारी हूं परन्तु साथ ही मैं यह भी समझता हूं कि अभी किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

Shri Bibhuti Mishra: The directive of the Executive prevails over the Election Commission. That is why I suggest that cases of doubtful elections should be referred to a sitting judge. It will lighten the job of the President.

श्री सी० एम० स्टीफ़न : मैं केवल दो स्पष्ट प्रश्नों का उत्तर चाहता हूं। यदि एक ओर आप यह व्यवस्था किए हुए हैं कि यदि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने के अयोग्य पाया जाता है तथा दूसरी ओर आप न्यायालयों को चुनाव सम्बन्धी जांच करने के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। इन परस्पर विरोधी बातों का अर्थ क्या होगा?

श्री एच० आर० गोखले : हमने इस सम्बन्ध में अलग-अलग व्यवस्था कर दी है। अनुच्छेद 102 के साथ ही उपबन्ध (ख) में तीन या चार अयोग्यताओं का उल्लेख कर दिया गया है।

[श्री एच० आर० गोखले]

इनमें से कुछ उस समय भी लागू होते हैं जब कि सदस्य सदन की सदस्यता ग्रहण कर चुका है। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

श्री सी० एम० स्टीफन : मेरे कहने का उद्देश्य यह है कि वस्तुतः इसका ध्यान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(क) में रखा गया है तथा यह भी लगभग वैसा ही है। आप फिर भला यह क्यों सोचते हैं कि धारा 8 (क) द्वारा की गई व्यवस्था पर्याप्त नहीं है दूसरी ओर आप इसे संविधान में भी जोड़ना चाहते हैं।

श्री एच० आर० गोखले : इस संशोधन के पारित होने के बाद हमें इससे सम्बद्ध अधिनियम में भी उपयुक्त परिवर्तन करना पड़ेगा। जब तक संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हो जाता तब तक तो हमें वह अधिनियम बनाये रखना पड़ेगा। जहां तक श्री स्टीफन के इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि इसे संविधान में क्यों जोड़ा जा रहा है। ऐसा केवल इसीलिए किया जा रहा है ताकि राष्ट्रपति को ही इस मामले में सर्वोच्च शक्ति सम्पन्न बनाया जा सके। ऐसा संविधान संशोधन से ही किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 21 पर विचार करेंगे।

खण्ड 21

Clause 21

श्री शिब्बन लाल सक्सेना (महाराजगंज) : मैं अपना संशोधन संख्या 59 प्रस्तुत करता हूं।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं अपना संशोधन संख्या 114 प्रस्तुत करता हूं।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैं अपना संशोधन संख्या 339 प्रस्तुत करता हूं।

श्री एच० आर० गोखले : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं :—

पृष्ठ 6—

पंक्ति 16 से 18 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये: —

"(3) अन्य बातों में संसद् के प्रत्येक सदन की तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां वही होंगी जो संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 21 के प्रारम्भ पर उस सदन की तथा उसके सदस्यों और समितियों की हैं और जो संसद् के ऐसे सदन द्वारा समय-समय पर विकसित की जायें।"।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं अपना संशोधन संख्या 465 प्रस्तुत करता हूं।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैंने जो कुछ कहना था वह उस समय कह दिया था जबकि विधेयक पर विचार किया जा रहा था। अब मैं केवल एक बात के बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं। वर्तमान अनुच्छेद के अन्तर्गत संसद दोनों सदनों की कार्य प्रक्रिया के सम्बन्ध में विधान पारित कर सकती है। परन्तु उस उपबन्ध को अब समाप्त किया जा रहा है। क्या इसका अर्थ यह होगा कि भविष्य में संसद को संसद की कार्य प्रक्रिया के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा?

श्री मूल चन्द डागा : संसद सदस्यों के अधिकारों, विशेषाधिकारों तथा प्राप्त रियायतों सम्बन्धी यह संशोधन बिल्कुल स्पष्ट हैं। दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति होनी चाहिए,

जो कि इन पर विचार करे और तत्पश्चात् जब समिति किसी निर्णय पर पहुंच जाये तो उस निर्णय को संयुक्त सत्र के समक्ष पेश करे। मैंने संशोधन संख्या 339 में यही सुझाव दिया है।

प्रो० एस० एल० सक्सेना : संविधान को लागू किए कई वर्ष बीत गए हैं। किन्तु संसद सदस्यों की शक्तियों तथा विशेषाधिकारों को अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है। मैं चाहता हूं कि शक्तियों, विशेषाधिकारों तथा रियायतों आदि की परिभाषा निश्चित की जाये। इस उद्देश्य के लिए मैंने संशोधन पेश किया है। इन्हें इस तरह परिभाषित किए बिना नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

श्री एच० आर० गोखले : इतने वर्षों तक संविधान में हाउस आफ कामन्स का उल्लेख रहा है। इसलिए यह सोचा गया है कि संविधान से हाउस आफ कामन्स का उल्लेख समाप्त किया जाये। यह सर्वविदित है कि संसद सदस्यों को वही विशेषाधिकार प्राप्त हैं जो हाउस आफ कामन्स क सदस्यों को प्राप्त हैं। इसलिए विदेशी कानून का उल्लेख किए बिना वर्तमान विशेषाधिकार बने रहें। इस का अर्थ यह नहीं है कि हम अनन्तकाल के लिए हाउस आफ कामन्स के विशेषाधिकारों से बंधे हुए हैं। सदन अपने विशेषाधिकार निश्चित कर सकता है।

***श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** (तिरुनेलवली) : मैं खंड 34 सम्बन्धी अपनी संशोधन संख्या 470 तथा खंड सम्बन्धी संशोधन संख्या 465 पर कहना चाहता हूं, जिसमें कहा गया है कि संसद सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों तथा रियायतों का निर्धारण कानून द्वारा किया जायेगा.... **(व्यवधान)**

मैंने अपने संशोधन में कहा है कि संसद सदस्यों की शक्तियों, अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का निर्धारण दोनों सदनों की बजाय कानून द्वारा किया जाना चाहिए। खंड 21 अनुच्छेद 105 (3) का संशोधन करता है। हर्ष की बात है कि स्वतंत्रता के 28 वर्ष बाद अब संविधान से "हाउस आफ कामन्स" आदि शब्दों को हटाया जा रहा है।

ऐसी परम्परा है संसद सदस्य के गिरफ्तार किए जाने पर उसे हथकड़ी न लगाई जाये। इसी प्रकार यह भी परम्परा है कि किसी सदस्य को संसद के परिसर में गिरफ्तार न किया जाये। राष्ट्रध्वज और संविधान को फाड़ना अपराध है। यदि कोई सदस्य ऐसा अपराध करता है तो उसे उपरोक्त परम्परा के अनुसार संसद के परिसर में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ऐसी परम्पराओं को कानून में सम्मिलित किया जाये और स्पष्ट किया जाये। संसद सदस्यों की आचरण संहिता बनाए जाने पर संसद सदस्यों की अवैध और असंवैधानिक गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकेगी तथा यदि आवश्यक हो तो उनकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है।

समझ में नहीं आता कि सदस्यों को दी गई छूट तथा कर्त्तव्यों को कानून में सम्मिलित क्यों नहीं किया जा रहा है। इन्हें कानून में शामिल किया जाये।

जब हम इस संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा देश की जनता के कर्त्तव्यों को संविधान में निगमित कर रहे हैं तो संसद सदस्यों के कर्तव्य भी इसमें सम्मिलित क्यों न किए जायें। इससे सदस्य अपना कर्तव्य और अधिक प्रभावी ढंग से निभायेंगे।

---

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of a speech delivered in Tamil.

खण्ड 22

Clause 22

श्री जम्बुवंत धोटे : मैं अपना संशोधन संख्या 561 पेश करता हूं ।

Under the 44th Constitutional Amendment Bill we talked a number of times about the social and economic revolution. But inadequate provision has been made to remove the obstacles coming in the way of social and economic progress or revolution. Most of the time has been wasted in talking about political and impracticable things. In my opinion Parliamentary democracy is nothing but a farcical drama. My party and I do not believe in this parliamentary democracy.

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : प्रत्येक सदस्य ने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली है । माननीय सदस्य कुछ ऐसा कह रहे हैं जो कि इस सभा की प्रतिष्ठा के लिए अपमानजनक है : अत : उन्हें ये शब्द वापस लेने के लिए कहा जाये ।

Shri Jambuwant Dhote: It is not contempt of the House. I am simply putting forth my and my party's opinion.

उपाध्यक्ष महोदय : इस तरह के शब्दों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए । इस सभा में अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व प्रत्येक सदस्य एक शपथ लेता है ।

श्री जम्बुवन्त धोटे : किन्तु प्रत्येक को वाक स्वतंत्रता भी तो है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई सदस्य यह कहता है कि यह सब मजाक हो रहा है और हम सब यहां लोकतंत्र को समाप्त कर रहे हैं तो यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है । आप बाहर कुछ भी कहते हों लेकिन यहां सभा में आपने शपथ ले रखी है ।

Shri Jambuwant Dhote: The House will be reduced to a non-entity after clause 22 of this Bill is passed.

If we are serious about democracy in this country, we have to see that this House remains responsible to the people who have sent us here to represent their views.

In order to ensure that the dignity of the House is maintained, the founding fathers of our Constitution have provided that one tenth of the total membership of either house of Parliament will constitute a quorum and if there is no quorum in the House, the meeting will be suspended. We now want to remove the restriction of quorum in the House altogether which is not fair. Is it not the duty of the Minister of Parliamentary Affairs to ensure quorum in the House? What is the necessity of such a big House when we do not want a quorum. In this case all the deliberations can be done in the chambers of the Ministers. If Government want to do away with quorum why not do away with Parliamentary system altogether?

My amendment that 'one tenth of the total numbers of Members will constitute quorum' should be accepted and the provision regarding quorum should not be removed.

श्री एच० आर० गोखले : यदि अनुच्छेद 100 के खंड (3) और (4) को हटाया जाता है तो यह कहना कि अनुच्छेद 118 में गणपूर्ति की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए का अर्थ यह माना जायेगा कि संविधान और नियमों में गणपूर्ति का उपबन्ध नहीं है। इसके सम्बन्ध में खंड का संशोधन के बाद निर्णय किया जायेगा। अनुच्छेद 118 का प्रस्तावित संशोधन पारित करना अत्यन्त आवश्यक है।

सभा का कार्य--जारी

BUSINESS OF THE HOUSE—*Contd.*

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैंने बताया था कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के पश्चात् ही मैं बता पाऊंगा कि इस सत्र को और कितने दिन बढ़ाना है। समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है कि लोक सभा की 4 तथा 5 नवम्बर को भी बैठक होगी।

संविधान (44वाँ संशोधन) विधेयक--जारी

CONSTITUTION (FORTY-FOURTH AMENDMENT) BILL—*Contd.*

नया खंण्ड 22क

New Clause 22A

Shri Jambuwant Dhote: Mr. Speaker I want to raise a point of order.

Mr. Deputy Speaker: What is your point of order?

Shri Jambuwant Dhote: Clauses 3 and 4 of Article 100 are still there and therefore quorum is necessary in the House. But we see that while we are seriously considering the constitutional amendments and the clause-wise discussion is going on, there is no quorum in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : इनका व्यवस्था का प्रश्न यह है कि सभा में गणपूर्ति नहीं है। हम खंड 23 पर चर्चा कर रहे हैं (**व्यवधान**)

खण्ड 23

Clause 23

श्री बी० आर० शुक्ल : मैं अपने संशोधन संख्या 60, 87 तथा 88 पेश करता हूं।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं अपने संशोधन संख्या 115 तथा 116 पेश करता हूं।

श्री मोहम्मद जमीलुर्रहमान (किशनगंज) : मैं अपना संशोधन संख्या 301 पेश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब पता चला है कि सभा में गणपूर्ति नहीं है । घण्टी बजाई जाये । अब सभा में कोरम–गणपूर्ति है ।

श्री डी० के० पण्डा (भंजनगर) : मैं अपना संशोधन संख्या 574 पेश करता हूं ।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : मैं अपना संशोधन संख्या 583 पेश करता हूं ।

श्री बी० आर० शुक्ल : उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान संशोधन विधेयक में उच्च न्यायालय केवल राज्यों के कानूनों और उनके अन्तर्गत नियमों और विनियमों की वैधता का निश्चय करेंगे जब केवल उच्चतम न्यायालय ही केन्द्रीय कानूनों की वैधता के बारे में निर्णय देगा लेकिन केन्द्रीय कानून बनाने की शक्ति के अधीन इस समय राज्य सरकारें और राज्य विधान मण्डल भी नियम बना सकते हैं । उदाहरणार्थ संसद द्वारा पारित आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकारें भी मुनाफाखोरी तथा जमाखोरी और आवश्यक वस्तुओं के लायसेंस विनियमन जैसे आदेश जारी कर सकती हैं । अब प्रश्न यह उठेगा कि क्या केन्द्रीय कानून के अधीन राज्यों द्वारा बनाये गए नियम/आदेश केन्द्रीय कानून कहलायेंगे अथवा कि राज्यों के कानून और फिर उनकी वैधता का निश्चय केवल उच्चतम न्यायालय करेगा अथवा कि उच्च न्यायालय । अत : मेरा संशोधन इस आशय का है कि उच्चतम न्यायालय का अधिकार-क्षेत्र केन्द्रीय कानून तथा उसके अधीन किसी भी राज्य विधान सभा अथवा प्रशासन द्वारा बनाये गए नियमों, अधिसूचनाओं, उपनियमों आदि की वैधता के बारे में भी निर्णय करने का होगा । इस संशोधन में यह भी प्रावधान रखा गया है कि उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार संविधान के अन्तर्गत गारंटी किए गए मूल अधिकारों को प्रभावी कराने का भी होगा । और यदि किसी कानून के उल्लंघन के फलस्वरूप किसी नागरिक के साथ बहुत अन्याय हुआ है तो वह अनुच्छेद 226 के अधीन अपने अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय का द्वार खटखटा सकेगा । अनुच्छेद 226क में यह प्रावधान है कि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अधीन अपना क्षेत्राधिकार केन्द्रीय कानून की वैधता का निश्चय नहीं करेंगे । अब उच्चतम न्यायालय क्षेत्राधिकार तीन तरह के हैं । अनुच्छेद 32 के अधीन मूल अधिकारों को प्रभावी कराने का मूल क्षत्राधिकार । अब अनुच्छेद 226 में संशोधन करके इस क्षेत्र को बढ़ाया जा रहा है । दूसरा क्षेत्राधिकार है अपील सुनने का और तीसरा क्षेत्राधिकार है सलाह देने का । अब यदि किसी केन्द्रीय कानून का उल्लंघन होता है तो फिर किस तरह उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा जायेगा । मूल क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं क्योंकि उसमें मूल अधिकार का अतिक्रमण नहीं है । उच्च न्यायालय पर नहीं पहुंचा जा सकता क्योंकि केन्द्रीय कानून उसके क्षेत्राधिकार से सर्वथा बाहर कर दिया गया है । अपील का यह मामला नहीं अत: दूसरे क्षेत्राधिकार से भी बाहर है ; और तीसरे सलाह देने के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय को इस मामले में कहने का तो प्रश्न ही नही उठता इसलिए मेरा अनुरोध है कि ऐसा संशोधन किया जाय जिसके फलस्वरूप, जिस प्रकार उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अधीन रिट जारी करने का अधिकार है उसी प्रकार उच्चतम न्यायालय भी अनुच्छेद 32 के अधीन, केन्द्रीय कानून अथवा राज्य कानून, अथवा दोनों तथा उनके अधीन बने नियमों, विनियमों, उपनियमों अथवा अधिसूचनाओं आदि के उल्लंघन पर रिट जारी कर सके ।

मेरा तीसरा संशोधन बड़ा साधारण है । इसका आशय यह है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून का तब तक अनिवार्य रूप से पालन किया जायेगा जब तक कि संसद अथवा सक्षम राज्य विधान मंडल द्वारा उसे बदल अथवा संशोधित न कर दिया जाये ।

श्री डी० के० पण्डा (भंजनगर) : खण्ड 23 पर मेरे संशोधन संख्या 574 का आशय यह है कि उच्च न्यायालय को उस केन्द्रीय कानून की संवैधानिकता के प्रश्न पर निर्णय देने का अधिकार होना चाहिये जो संविधान के भाग–4 के प्रावधानों को प्रभावित करता और यदि आप यह अधिकार केवल उच्चतम न्यायालय को ही देते हैं तो स्थिति यह होगी कि समाज का निर्धन वर्ग किसी केन्द्रीय क़ानून द्वारा आहत अपने अधिकार के लिये उच्च न्यायालय की शरण नहीं ले सकेंगे जिसका अर्थ यह होगा कि ग्रामीण वर्ग जो कि सीधे ही उच्चतम न्यायालय तक नहीं पहुंच पाता, न्याय से वंचित रह जायेगा ।

दूसरे, यदि उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय किसी केन्द्रीय कानून अथवा राज्य कानून में संविधान सम्बन्धी वैधता का प्रश्न निहित पायें तो उन्हें स्वयं ही उसकी वैधता पर विचार करने का अधिकार होना चाहिये । फिर महान्यायवादी भी, आवेदन करके, उच्च न्यायालय से किसी मामले को मंगा सकता है । तीसरे, उच्चतम न्यायालय भी उच्च न्यायालय के विचाराधीन इस मामले को मंगा सकता है जिसमें किसी केन्द्रीय कानून की संवैधानिकता वैधता को चुनौती दी गई हो । तो फ़िर उच्च न्यायालय को इस अधिकार से क्यों वंचित किया जा रहा है ? इसी लिये मैंने यह संशोधन पेश किया है ।

परन्तु मेरा यह संशोधन इसी विषय पर अन्य संशोधनों से भिन्न है और यह एक दिशा देता है । मामलों को धनी व्यक्ति किसी केन्द्रीय कानून को उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में चुनौती देता है तो उसकी वजह से कितने ही प्रगतिशील कानून रुक गये हैं और निर्धन लोगों को काफ़ी लम्बी अवधि तक उनका लाभ नहीं मिल पाता । मेरा आशय यह है कि उच्चतम या उच्च न्यायालय को ऐसे मामले निदेशात्मक सिद्धान्तों की भावना के अनुसार निपटाने चाहियें । इस प्रकार निदेशात्मक सिद्धान्तों की क्रियान्विति का सुनिश्चय करने के लिए उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय उन मामलों पर विचार कर सकते हैं जहां संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। उदाहरणार्थ, बिहार पट्टेदारी अधिनियम में संशोधन करके बिहार सरकार ने पट्टेदारों के कुछ अधिकार छीन लिये जो कि 20-सूत्री कार्यक्रम की भावना के सर्वथा विरुद्ध हैं । इसी प्रकार बन्धुवा मज़दूरी का उदाहरण लीजिये । मान लीजिये कोई ऐसा संशोधन आता है जिसके फ़लस्वरूप प्रगतिशील प्रयासों में अवरोध पड़ता है तो ऐसी परिस्थिति में उच्च न्यायालय हस्तक्षेप करते न करते इसी प्रकार यदि किसी केन्द्रीय क़ानून के कारण; निदेशात्मक सिद्धान्तों की भावनाओं के विरुद्ध किसी ग़रीब आदमी को बीस-सूत्री कार्यक्रम के अधीन मिलने वाले लाभों से वंचित होना पड़ता है तो ऐसे मामलों पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए । निदेशात्मक सिद्धान्तों की क्रियान्विति का निश्चय करने का अधिकार भी उच्च न्यायालय को दिया जाना चाहिये । इससे उच्चतम न्यायालय के पास मामलों की भीड़ न हो और उसका काफ़ी समय इस प्रकार बच जाये । अतः निदेशात्मक सिद्धान्तों से सम्बन्धित केन्द्रीय क़ानूनों की वैधता की जांच करने का अधिकार उच्च न्यायालयों को मिलना चाहिये ।

मेरा अनुरोध है कि मन्त्री महोदय मेरा संशोधन स्वीकार कर लें ।

श्री सी० एम० स्टीफन : (मुवत्तुपुजा) : पहली बात तो यह है कि अनुच्छेद 131क रखने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि उच्चतम न्यायालय को सभी केन्द्रीय क़ानूनों की वैधता की जांच करने का अधिकार पहले ही से है और अनुच्छेद 228क द्वारा उच्च न्यायालय से यह अधिकार वापस ले लिया गया है । इस नये खण्ड 23 में यद्यपि अनुच्छेद 368 भी शामिल है तथापि और अधिक सावधानी के उद्देश्य से मैंने यह संशोधन पेश किया है कि "परन्तु अनुच्छेद 368 के खण्ड (4) के रहते" जिसका अभिप्राय संवैधानिक संशोधन की सुरक्षा करना है जिसे हम पास कर रहे हैं ।

[श्री सी० एन० स्टीफन]

इस समय अधीनस्थ न्यायालयों के पास निर्णयाधीन ऐसे अनेक मामले होंगे जिनमें केन्द्रीय कानून को चुनौती दी गई होगी और वे मामले अपने अन्तिम चरण में होंगे। अतः उच्चतम न्यायालय द्वारा ही उन पर विचार किये जा सकने के नाम में उन मामलों की कार्यवाही रोक देना ठीक न होगा। तेजी से कार्यवाही होने के अभिप्राय से क्या हम यह व्यवस्था नहीं कर सकते कि हम यह बात उच्चतम न्यायालय पर छोड़ दें कि उन मामलों की कार्यवाही रोक दी जाये अथवा नहीं ? उच्चतम न्यायालय को उक्त मामलों पर विचार करने का समय मिलने तक उन पर कार्यवाही स्थगित क्यों की जाये क्योंकि अन्ततः फ़ैसला तो उच्चतम न्यायालय ही ने करना है। इसी बीच निचले न्यायालय/उच्च न्यायालय उन मामलों की जांच का काम पूरा कर सकते हैं। विधि मन्त्री इस पहलू पर विचार करें। यह बात हम उच्चतम न्यायालय पर ही छोड़ दें कि किस मामले अथवा उसके किसी अंश पर कार्यवाही स्थगित की जानी चाहिये।

अब केवल महान्यायवादी ही मामलों को उच्चतम न्यायालय मे पेश कर सकते हैं। कुछ अन्य पक्ष भी तो उच्चतम न्यायालय को इस बारे में सन्तुष्ट कर सकते हैं कि कोई मामला उच्चतम न्यायालय में भेजा जाना चाहिये। उन पक्षों को भी न्यायालय मे मामला ले जाने का वही अधिकार दिया जाना चाहिये जो महान्यायवादी को है। यह मामला सार्वजनिक हितों का न होकर सम्बन्धित पार्टियों के हित का है। अब व्यवस्था यह है कि उच्च न्यायालय मामले को उच्चतम न्यायालय के पास भेजेंगे। मेरा सुझाव है कि कोई भी पक्ष जाकर उच्च न्यायालय से अनुरोध कर सकता है कि मामला उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाये।

मेरा अभिप्राय यह है कि प्रस्तावित प्रावधान अगले खण्ड के लिये होना चाहिये क्योंकि उसमे वे मामले आते हैं जो विभिन्न राज्यों क न्यायालयों म निर्णयाधीन हैं। वहां महान्यायवादी की भूमिका आती है। मेरा अभिप्राय यह है कि समानान्तर न्यायिक-क्षेत्र चलाने कीं बजाये, यह व्यवस्था हो कि विचार करने वाले न्यायालय को यह देखना चाहिये कि किसी मामले को कहां तक जाना चाहिये और सम्बन्धित व्यक्ति को अपील करने का हक़ होना चाहिये।

इस प्रकार मैंने यह चाहा है कि पहले तो अनुच्छेद 131 में संशोधन करके उसके अधीन अनुच्छेद 388के अन्तर्गत केन्द्रीय कानून को लाया जाये। दूसरे, विचाराधीन मामले की कार्यवाही स्थगित करना अनिवार्य न रहे। इस बारे मे उच्चतम न्यायालय को स्वेच्छा रहनी चाहिये कि स्थगित करें या न करें। तीसरे, केवल महान्यायवादी को ही मामला उच्चतम न्यायालय में पेश करने का अधिकार नहीं होना चाहिये। चौथे, अनिवार्य व्यवस्था के अधीन उच्चतम न्यायालय के लिये ज़रूरी नहीं होना चाहिये कि वह अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करे तथा मामले को अपने पास मंगा लें। समानान्तर न्याय-क्षेत्र की ज़रूरत नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जमीलुर्रहमान।

श्री मोहम्मद जमीलुर्रहमान : मुझे अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति दी जाये हालांकि मैं उसे प्रस्तुत कर चुका हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस स्तर पर आप उसे वापस तो नहीं ले सकते, हां आप इस पर ज़ोर भले ही न दें।

श्री मोहम्मद जमीउर्रहमान : मैं उस पर जोर नहीं देता ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह मामला तो सोमवार को विचाराधीन होगा ।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी (कलकत्ता–दक्षिण) : सभी केन्द्रीय कानूनों के संबंध में केवल उच्चतम न्यायालय को ही समूचा क्षेत्राधिकार देना हमारी संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए अच्छा नहीं है । जैसाकि मैंने आम चर्चा के समय कहा था कि न्यायपालिका में सामूहिक तौर से एक प्रवृत्ति पैदा हो गई है जिसे मैंने वर्ग-गत संघर्ष कहा है । जहां न्यायपालिका एक वर्ग-विशेष का प्रतिनिधित्व करती है वहां संसद भी एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है । अतः यह सोचना बुद्धिमानी नहीं होगी कि भविष्य में आने वाली न्यायपालिका भी वैसी ही होगी जैसा कि अब है । संभव है आने वाली न्यायपालिका संविधान की, सार्वजनिक, हितों में ही व्याख्या करे संसद को सन्तुष्ट करने के लिए न करे । इसलिए हमें उसकी क्षमता और सामर्थ्य के बारे में कोई विकृत दृष्टिकोण नहीं बनाना चाहिए ।

विधि मंत्री ने कहा कि अन्ततः केन्द्रीय कानून की व्याख्या करने तथा उस पर निर्णय देने का काम उच्चतम न्यायालय तक ही पहुंचता है । अतः उसे उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में न रखकर केवल उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में रखा गया है परन्तु विधि मंत्री स्वयं एक विद्वान जज रह चुके हैं और वह जानते हैं कि दीवानी दावों के मामलों में या अपराधिक अथवा संवैधानिक मामलों में न्यायाधिक जांच के केवल एक ही मंच तक सीमित रखना उचित नहीं है । उसकी जांच नीचे से शुरू होकर ऊपर तक जानी चाहिए । जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे संसदीय तंत्र में संसद का दर्जा सर्वोच्च होते हुए भी अन्तिम राय राष्ट्रपति की ही होती है । वैसे यह एक औपचारिकता ही है क्योंकि राष्ट्रपति को उस पर अपनी सहमति देनी ही होती है जिसका निर्णय हम यहां करते हैं । इसी तरह की प्रक्रिया न्यायपालिका में भी होनी चाहिए । अगर आप यह समझें कि उच्च न्यायालय इस मामले में अयोग्य है अथवा कि वे अपनी व्याख्या द्वारा रूकावटें पैदा करते हैं तो फिर आपको उच्च न्यायालयों की सामूहिक विद्वता और उच्चतम न्यायालय की सामूहिक विद्वता में अन्तर करना होगा । इस दृष्टि से उच्चतम न्यायालय भी अधिक योग्यता का दवा नहीं कर सकता ।

यदि आप यह समझे कि उच्च न्यायालयों के कारण देर होती तो है फिर यह भी सच है कि सारे ही मामले यदि उच्चतम न्यायालय में आये तो वहां भी मामलों की भीड़ लग जायेगी और फिर वह भी सरकार के मन्शा के अनुसार द्रुतगति से न्याय उपलब्ध न करा सकेगी ।

तीसरे यहां लोकतंत्र है । यद्यपि संसद सर्वोच्च है तथापि न्यायपालिका को भी ऐसा अवसर देना चाहिए कि वह यह जान सकें कि लोकहित कैसे बेहतर हो सकता है ।

अब, उदाहरण के लिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद उस राज्य के भाग्य का निर्णय केन्द्र सरकार के हाथ में होता है और अपने राजनैतिक प्रणाली के अन्तर्गत केन्द्र की स्वीकृति के बिना कुछ नहीं कर सकता । परन्तु यदि कोई नागरिक किसी केन्द्रीय कानून की व्याख्या तुरंत चाहता है तो आप उसके लिए उच्च न्यायालय को व्याख्या करने से क्यों रोकते हैं, जबकि उसके पश्चात् भी स्वयं उच्चतम न्यायालय भी अपना निर्णय इस मामले में दे सकता है । यह प्रणाली अधिक लोकतांत्रिक है परन्तु प्रस्तावित सीमाबन्दी लोकतंत्र के हितों की दृष्टि से अच्छी नहीं है । मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इस सारे प्रावधान का लोप कर दिया जाये । मैं इस से अंशतः सहमत हूं । उच्च न्यायालय निश्चय ही उच्चतम न्यायालय को मामले भेजे । परन्तु उच्च न्यायालयों की विद्वता को केवल अंशतः ही सही मानना किसी की समझ में नहीं आता ।

जहां तक महान्यायवादी का प्रश्न है, वह तो उच्चतम न्यायालय में केन्द्र सरकार के हितों की ही रक्षा करेगा। सरकारी संरक्षण विहीन दल इस उचित नही समझेंगे। कल को यदि केन्द्र सरकार में सत्तारुढ दल जन हित के विरुद्ध हुआ और लोकहित चाहने वाली शक्तियां संसद् से बाहर हुई और उससे केन्द्रीय कानूनों के नामों में कतिपय जन-विरोधी कानून बना डाले तो फिर एक नागरिक को यह अधिकार क्यों न हो कि वह महान्यायवादी की सहायता के बिना ही उच्चतम न्यायालय तक पहुंच सके? यदि आप यह कहें कि आप उच्च न्यायालय को इस संबंध में कोई अधिकार नहीं देना चाहते तो उसे आपत्ति नहीं, परन्तु आप कुछ मामलों में तो उच्च न्यायालय को कोई मामला उच्चतम न्यायालय के पास भेजने का अधिकार देते हैं और साथ ही महान्ययावादी को भी यह अधिकार देते हैं कि वे उच्च न्यायालय से किसी भी मामले को वापस मंगाने का उच्चतम् न्यायालय से आवेदन कर सके। यह तो न्यायिक प्रणाली का दो-मुखी स्वरूप हुआ और विश्व का बड़े से बड़ा न्याय-विशेषज्ञ इसको स्वीकार नही करेगा। यह लोकतंत्र की मूल भावना के भी विरुद्ध है। अतः मेरा अनुरोध है कि आप इसको यहीं तक सीमित रखें कि उच्च न्यायालय किसी मामले को उच्चतम न्यायालय के पास भेज सकते हैं और प्रावधान के शेष भाग का लोप कर दें।

फिर दोनों ही प्रकार के कानूनों की बात है। उदाहरणार्थ, यदि कोई राज्य लोक हित में कुछ करना चाहे और उस समय केन्द्र स्तर पर सरकार राज्य में सत्तारूढ़ दल से भिन्न दल की हो और वह यह समझकर कि उक्त कदमों से राज्य के सत्तारूढ़ दल को चुनाव आदि में लाभ पहुंचेगा, उसके विरुद्ध कोई कानून बना दे जिसे वह केन्द्रीय कानून की संज्ञा दे दे तो फिर इससे देश की अखण्डता और साथ ही केन्द्र-राज्य संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इससे पृथकता-वादी शक्तियों को प्रोत्साहन मिलेगा और देश की सार्व भौमिकता को खतरा पैदा हो सकता है।

श्री एच० आर० गोखले : मैं प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने की कोई इच्छा नहीं रखता तथापि संभव है कि वर्तमान प्रावधान में कुछ संशोधन की जरूरत पड़े तो वह मैं पेश करूंगा।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : एक दलीय प्रशासन के लिये तो यह प्रावधान सही है। परन्तु क्या आप बतायेंगे कि संघीय ढ़ांचे और संसदीय लोकतंत्र में इससे लोक आकांक्षाएं कैसे पूरी होंगी?

श्री एच० आर० गोखले : मैंने अभी चर्चा का उत्तर नहीं दिया है।

कुछ सदस्यों ने अनुच्छेद 32 संबंधी कुछ बाते उठाई हैं कि इसके अधीन किसी केन्द्रीय कानून के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में आवेदन नहीं किया जा सकता क्योंकि इस अनुच्छेद के अन्तर्गत रिटें तथा मूल अधिकार आते हैं। परन्तु वह अनुच्छेद 131क की अनदेखी कर गये जिसे अब पुरःस्थापित किया जाना है और जिसके द्वारा उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार बन जाता है। अतः उन सदस्यों का उपरोक्त मत निराधार है। साथ ही इस प्रावधान को और अधिक सुदृढ़ करने के लिये खण्ड 26 है जिस पर बाद में विचार होगा। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय को नियम बनाने, तत्संबंधी प्रक्रिया बनाने कि किस प्रकार किसी केन्द्रीय कानून को चुनौती देने हेतु आवेदन किया जाये, अपद में अधिकार दिये गये हैं। और ये अधिकार अनुच्छेद 131क के अधीन हैं।

श्री बी० आर० शुक्ल ने उच्चतम न्यायलय के केवल तीन क्षेत्राधिकार अर्थात् अपील, मूल अधिकार तथा सलाहकार संबंधी क्षेत्राधि कार बताकर कहा है कि सामान्य जन की पहुंच उच्चतम न्यायालय तक होने के लिये उसका क्षेत्राधिकार और भी बनाया जाये। वस्तुत : हमने क्षेत्राधिकार की व्यवस्था की हुई है और अब इसके लिये अनुच्छेद 32 या अन्य कहीं व्यवस्था करने की जारूरत नहीं है।

यह कहा गया है कि यह स्पष्ट किया जाये कि केन्द्रीय कानूनों के अन्तर्गत नियमों, विनियमों, उप-नियमों आदि की संवैधानिक वैधता केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा ही की जानी चाहिये उच्च न्यायालयों से नहीं। तथा क्या उच्च न्यायालयों पर विश्वास नहीं है ? दूसरे यह भी कहा गया है कि सारे ही मामले उच्चतम न्यायालय के पास आने से उसके ऊपर आम भारी बोझ पड़ेगा इसलिये वहां तो केवल मुख्य विधान पर ही विचार होना चाहिये और नियमों, विनियमों आदि पर विचार उच्च न्यायालयों पर ही छोड़ देना चाहिये। वस्तुत : इन दोनों विचारों में कुछ सार है और मैं इस संदर्भ में विचार कर रहा हूं।

इस सुझाव के बारे में कि उच्च न्यायालयों के पास भी कुछ न कुछ अधिकार तो रहने ही चाहिये, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमने ये प्रावधान इस भावना के अन्तर्गत नहीं किये हैं कि हमें उच्च-न्यायालयों पर विश्वास नहीं है। इस प्रावधान का अभिप्राय किसी भी न्यायालय के प्रति अविश्वास की कोई भावना व्यक्त करना नहीं है। उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार निश्चित करके ही हमने उसके प्रति कोई अविश्वास का आभास नहीं दिखाया है। हमने तो संसद तथा न्यायपालिका के क्षेत्रों को स्पष्ट किया है। मेरा और इस ओर के मेरे साथियों का न्यायालयों के प्रति कोई अविश्वास नहीं है। यहां तो अभिप्राय था विभिन्न न्यायालयों के क्षेत्राधिकारों को बांट देना और उन्हें अधिक सुचारु रूप से गठित करना। इतना ही नहीं अपितु न्यायालयों के क्षेत्राधिकारों का इस प्रकार वितरण करना कि न केवल प्रक्रिया में बल्कि क्षेत्राधिकार के अधिकतम उपयोग को भी नियमित किया जा सके। न्याय प्रशासन की रक्षा हो सके तथा न्याय उपलब्ध करने में समय तथा धन का व्यय भी कम हो सके। यह कहना सही नहीं है कि क्योंकि उच्च न्यायालय समर्थ नहीं समझे गये इसलिये उनसे यह अधिकार छीना गया है। वस्तुत: ऐसा नहीं है। यदि कोई मामला उच्च न्यायालय ने देखना है तो हम उस पर विश्वास करते हैं। मुख्य बात यह थी कि केन्द्रीय कानून का प्रभाव सारे देश पर पड़ता है और यदि वह रद्द किया जाये तो उससे सारे देश को हानि पहुंचती है। अत: हमें इस संबंध में एक ही अधिकृत निर्णय की जरूरत रहती है जो कि हमें उच्चतम न्यायालय से ही मिल सकता है।हमारा अनुभव है कि जब केन्द्रीय कानूनों को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाती है तो एक उच्च न्यायालय उस केन्द्रीय कानून को वैध करार देता है जबकि दूसरा उच्च न्यायालय उसी कानून को अवैध कहता है। ऐसी स्थिति में हमें उस निर्णय के विरुद्ध जहां केन्द्रीय कानून को अवैध कहा गया है, उच्चतम न्यायालय में जाना पड़ता है। उच्चतम न्यायालय के अन्तिम निर्णय तक हमें उस कानून को कार्यान्वित करने के लिये प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसलिये यह इस कठिनाई तथा कानूनों की क्रियान्विति में सम्भावित विलम्ब को दूर करने और समूचे देश के लिये लागू केन्द्रीय कानून के बारे में विवादास्पद निर्णयों को दूर करने के लिये केन्द्रीय कानूनों को उच्चतम न्यायालय में ले जाया जा सकता है। लेकिन यह राज्य के कानूनों पर लागू नहीं होता है। यदि उच्च-न्यायालय राज्य के किसी कानून को अवैध घोषित करता है तो उसकी अपील की जा सकती है। राज्य के कानून के एक अंग को अवैध करार किये जाने से अन्य कानूनों पर उसका सीधा प्रभाव नहीं

पड़ेगा। लेकिन यदि एक राज्य के किसी कानून को उच्च न्यायालय अवैध घोषित करता है तो अन्य राज्यों के उसी कानून के संचालन के बारे में क्या स्थिति होगी! अन्ततोगत्वा उच्चतम न्यायालय में जाना पड़ेगा और कानूनों की वैधता पर अन्तिम निर्णय प्राप्त करना ही इसका आशय है।

फिर यह कहा गया है कि महान्यायवादी को बीच में क्यों घसीटा गया है? इसका यह कारण है जब उच्च न्यायालय के सम्मुख कोई मामला आता है तो उसे वहां यह देखना होता है कि उसमें किसी केन्द्रीय कानून की संवैधानिक वैधता का प्रश्न तो नहीं उठता। यदि नहीं तो वह उच्च न्यायालय उस पर अपना निर्णय दे सकता है। दूसरी ओर केन्द्रीय कानून की संवैधानिक वैधता के साथ राज्य के कानून की वैधता का प्रश्न अन्तग्रस्त होता है तो उच्च न्यायालय उस पर अपना निर्णय नही दे सकता। उन दोनों मामलों पर उच्चतम न्यायालय हीं निर्णय दे सकता है। इसलिये प्रस्तावित नये अनुच्छेद 131 (क)के खण्ड 3 के द्वारा महान्यायवादी को यह कार्य सौंपा गया है। किसी कानून का ऐसा मामला हो सकता है जो कि ठीक उसी तरह का न हो जिसके लिये अपील करने के लिये विशेष अनुमति की आवश्यकता हो किन्तु जहां उच्च न्यायालम के अनुसार किसी केन्द्रीय कानून के सम्बन्ध में निर्णय सद्भावना से लिया जाता है और उसे उच्चतम न्यायालय को सौपना आवश्यक नहीं समझा जाता। महान्यायवादी, जो उच्चतम विधि अधिकारी तथा संवैधानिक प्राधिकारी होता है एक ऐसा व्यक्ति होता है, जिसे मामले को उच्चतम न्यायालय में पेश करने का कार्य सौंपा जाना चाहिये। वह उच्चतम न्यायालय को बतायेगा कि कोई गम्भीर गलती हो गई है और उच्चतम न्यायालय को उस पर विचार करना चाहिये और मामले के दस्तावेजों को मांगना चाहिये। मुझ पूरा विश्वास है कि जब कभी इस तरह की कोई बात की जायेगी तो दूसरे पक्ष को सुने बिना कोई न्यायालय अपना निर्णय नहीं देगा। इन सभी मामलों में इस प्रारम्भिक सिद्धान्त का पालन किया जाता है। अतः यहां महान्यायवादी को जो अधिकार दिया गया है वह उच्च न्यायालय द्वारा एसे मामलों को उच्चतम न्यायालय को सौंपने की उसकी जिम्मेदारी का पूरक है। मैं समझता हूं 100 में से 99 मामलों में महान्यायवादी को ऐसा नहीं करना पड़ेगा।

श्री स्टीफन द्वारा पेश किये गये संशोधन पर मैं विचार कर रहा हूं हो सकता है मैं उसे सदन में पेश कर दूं।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (कलकत्ता-दक्षिण) : यह स्पष्ट उल्लेख है कि महान्यायवादी द्वारा राज्य के कानूनों को वापस कर सकता है और कार्यकरण निलम्बित कर सकता है।

श्री एच० आर० गोखले : यह अवसर उस समय पैदा होता है जब राज्य के कानून की वैधता के बारे में किये गये निर्णय से अन्य राज्यों के वैसे ही कानूनों की वैधता पर प्रभाव पड़ता हो।

उच्चतम न्यायालय को राज्यों के बारे में कुछ पता नहीं होता है। अतः किसी को अवश्य ही उच्चतम न्यायालय को सूचित करना चाहिये। लेकिन ऐसा बहुत कम मामलों में ही होता है।

खण्ड 24

Clause 24

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं अपना संशोधन संख्या 584 प्रस्तुत करता हूं। यह खण्ड भी महान्यायवादी के बारे में ही है। मुझे उन विधिशास्त्रियों और व्यक्तियों के मत का तो पता नहीं है जिनसे स्वर्ण सिंह समिति ने बात चीत की। मैं विधि मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि वह इसे

भारत के महान्यायवादी तक ही सीमित क्यों रखते हैं और वह भारत के प्रत्येक नागरिक की अनुमति क्यों नही लेना चाहते हैं? "भारत के किसी भी नागरिक" इन शब्दों को क्यों नहीं जोड़ा जाता है?

श्री एच० आर० गोखले : हम ने इस पर विचार किया है। यदि हम "भारत के किसी भी नागरिक" को ऐसी अनुमति दे दें तो उच्चतम न्यायालय में एक सप्ताह के अन्दर ही बड़ी संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त हो जायेंगे। माना कि केरल के किसी व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा है और वह इसकी कार्यवाही में विलम्ब करना चाहता है तो फिर वह केवल इतना करेगा कि उच्चतम न्यायालय में जाकर कह देगा कि इसी तरह का आवेदन बम्बई उच्च न्यायालय में पड़ा हुआ है। जब तक बम्बई उच्च न्यायालय से सारे तथ्य प्राप्त नहीं कर लिये जाते या बम्बई उच्च न्यायालय में उस पर सुनवाई नहीं हो जाती तब तक हुए मामले पर निर्णय नहीं किया जा सकता। इस तरह से कई आवेदन-पत्र निलंबित रह जायेंगे। महान्यायवादी का व्यक्तिगत मामलों से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। उसे तो केवल इतना देखना है कि क्या किसी मामले में उसी तरह की कानूनी बातें हैं। वह भी तब यदि वह मामला लोक महत्व का हो। और यदि विभिन्न न्यायालयों में निलंबित मामलों के कारण संघर्ष उत्पन्न होने की संभावना हो तो फिर केवल वही आवेदन करेगा। अतः प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : यदि किसी नागरिक या राजनीतिक दल के हितों को किसी केन्द्रीय कानून से क्षति पहुंचे और महान्यायवादी की उसमें कोई रुचि न हो तो उसे क्या राहत मिलेगी।

श्री एच० आर० गोखले : यहां दो मामले एक-साथ मिलाये गये हैं। हम जिस अनुच्छेद का उल्लेख कर रहे हैं उसमें यह लिखा है : "महान्यायवादी द्वारा आवेदन किये जाने के बाद उच्चतम न्यायालय इस बात से सन्तुष्ट हो जाता है कि अंतर्ग्रस्त मामले एक जैसे हैं या कानून के एक समान प्रश्न हैं।" इसमें संवैधानिक वैधता का कोई उल्लेख नहीं है। कोई विधि एक या अधिक उच्च न्यायालयों में विचाराधीन है जिसमें सामान्य महत्व के मुख्य प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हैं। यह क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय का है और कोई भी नागरिक न्यायालय में जा सकता है और याचिका दायर कर सकता है।

खण्ड 25

Clause 25

प्रो० एस० एल०सक्सेना : मैं अपना संशोधन संख्या 61 प्रस्तुत करता हूं।

श्री शंकर राव सावंत (कोलाबा) : मैं अपने संशोधन संख्या 89 और 611 प्रस्तुत करता हूं।

Prof. S. L. Saksena: Government have now laid down that these things will be decided by a majority of two-thirds of the members of the Bench and not by ordinary majority. This is not correct. The majority opinion of the bench of seven judges should be accepted.

श्री शंकरराव सामन्त : मेरा पहला संशोधन स्पष्टीकरण के रूप में है। खण्ड 25 में कहा गया है कि किसी कानून की संवैधानिक वैधता का निर्णय करने के लिए न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 7 होगी और जब तक कुल न्यायाधीशों को दो-तिहाई बहुमत का मत नहीं होगा तब तक

किसी कानून को संवैधानिक रूप से अवैध या वैध घोषित नहीं किया जायेगा। इस तरह यह संख्या $4\frac{2}{3}$ हो जायेगी । अतः इसमें संशोधन किया जाना चाहिए और ऐसा स्पष्टीकरण जोड़ दिया जाना चाहिए जिससे अंक गणित के हिसाब से जिस संख्या पर पहुंचा जाये उससे अगला अंक पूर्ण माना जायेगा।

इस खण्ड पर मेरा दूसरा संशोधन है कि इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 141 के अन्तर्गत किसी कानून को घोषणा करते समय उच्चतम न्यायालय को केवल कानून का पता करने का ही अधिकार होगा कानून बनाने का नहीं। क्योंकि कुछ निर्णयों में यह तेखा गया है कि उच्चतम न्यायालय ने पहले कानून बनाये हैं। इसकी स्पष्ट परिभाषा भी नहीं दी गई है कि क्या उच्चतम न्यायालय कानून भी बना सकता है। उच्चतम न्यायालय की इस प्रवृत्ति पर रोक लगानी चाहिये और उसे कानून बनाने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये ।

श्री एच० आर० गोखले : मैं इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता। सामान्य खण्ड अधिनियम में यह व्यवस्था है। उच्चतम न्यायालय को नियम बनाने की विशिष्ट शक्ति दी गई है और संसद् का आशय स्पष्टतः अभिव्यक्त कर दिया गया है कि यह न्यूनतम संख्या होगी।

मुझे आशा है कोई भी न्यायालय ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कि यह उद्देश्य विफल हो। हम जब भी कानून बनाते हैं तो हमारा सदैव यह आशय रहता है कि उच्चतम न्यायालय केवल इस अर्थ में कानून बना सके जो केवल कानून की ही व्याख्या करे और इससे आगे कुछ नहीं करे ।

खण्ड 26

Clause 26

प्रो० एस० एल० सक्सेना : मैं अपने संशोधन संख्या 62 और 63 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री एच० आर० गोखले : मुझे कुछ नहीं कहना है ।

खण्ड 27

Clause 27

उपाध्यक्ष महोदय : इस खण्ड पर कोई संशोधन नहीं है ।

खण्ड 28

Clause 28

प्रो० एस० एल० सक्सेना : मैं अपना संशोधन संख्या 64 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं अपना संशोधन संख्या 466 प्रस्तुत करता हूं ।

प्रो० एस० एल० सक्सेना : मूल संशोधन में यह उपबन्ध है कि किसी न्यायालय या प्राधिकरण को किसी राज सरकार के कार्य के अधिक सुविधापूर्ण निष्पादन हेतु खन्ड 3 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों को पेश करने के लिये कहने का अधिकार नहीं होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि उच्चतम न्यायालय या उच्चतम न्यायालय किसी नियम को पेश करने के लिये नहीं कह सकते। यह बड़ी विचित्र बात है। यदि ये न्यायालय यह सोचें कि न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो फिर उनको नियम पेश करने के लिये कहने पर प्रतिबन्ध क्यों लगाया जा रहा है। इन नियमों का बनाया जाना उच्च

न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के न्याय दिलाने के हित में है। अतः इस खण्ड में इस आशय का संशोधन किया जाना चाहिये।

Shri Ramavatar Shastri: My amendment No. 466 relates to article 166 which reads "except in cases where much production is necessary to prevent failure of Justice or misuse of power"

If rules framed by the Central and State Governments for the more convenient transaction of business are banned from being produced in the court it will mean that the person concerned shall not be able to get justice. So an amendment should be made in clause 26 that where the production of such rules is necessary to prevent failure of justice or misuse of power the courts shall be entitled to require the production of these rules.

In Bihar, for example, a land reform law has been passed under which a cultivator can retain two hectares of land and that land cannot be distributed. But the State Government has now framed a rule that only one hectare of land can be retained by the cultivator. The result is that a large number of cultivators will have to part with their lands. Now if the matter is taken to the court those laws cannot be produced. Under these circumstances how the cultivator will get justice? Therefore it is necessary to accept my amendment.

श्री एच० आर० गोखले : ऐसे समान आशय के खण्ड 3 पर जो केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित था कल भी चर्चा हुई थी। यह खण्ड राज्य सरकारों के लिये बनाए गए नियमों से सम्बन्धित है। ऐसा लगता है माननीय सदस्यों को कुछ गलतफहमी हो रहीं है कि यह उपबन्ध सभी नियमो पर लागू होगा। किन्तु ऐसी बात नहीं है। इसका विशेष रूप से उन नियमों के बारे में उल्लेख किया गया है जो कार्य के अधिक सुविधापूर्ण निष्पादन के लिये हैं। संविधान के अनुच्छेद 72 के अधीन दो प्रकार के नियम बनाने की आवश्यकता पड़ती है। पहला है--कार्य नियमों का प्रावधान करना, और दूसरा कार्य के सुविधापूर्ण निष्पादन के बारे में है। इस खण्ड में कार्य-नियमों के प्रावधान का उल्लेख नहीं किया गया है। इन्हें किसी व्यक्ति को दिखाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इन नियमों का अन्य नागरिकों से कोई सम्बन्ध नहीं है। ये तो केवल मंत्रियों, मंत्रालयों तथा अधिकारियों पर ही लागू होते हैं। केवल इन्हीं नियमों को न्यायालय में पेश करने से रोका गया है।

सरकारी कर्मचारियों से सम्बन्धित नियम तथा विभिन्न अधिनियमों का यहां पर कोई सम्बन्ध नहीं है। और उन पर यहां विचार भी नहीं किया जा रहा है। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि इस खण्ड के अन्तर्गत किसी अन्य नियम को न्यायालय में पेश करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। कोई व्यक्ति इस खण्ड को लेकर यह नहीं कह सकता कि रेलवे के नियम या सरकारी कर्मचारियों से सम्बन्धित नियमों को न्यायालय में पेश करने से रोका गया है। यदि यह बात भली भांति समझ ली जाये और यह गलत फहमी दूर ही जाये तो फिर इस खण्ड के बारे में शिकायत करने का कोई कारण नहीं होना चाहिये।

खण्ड 29, 30

Clauses 29, 30

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामावतार शास्त्री अपना संशोधन पेश करें।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं अपना संशोधन संख्या 467 पेश करता हूं।

Our party is totally against extending the term of Lok Sabha from five to six years. It has been said that the term of a member of Lok Sabha should also be equal to that of Rajya Sabha. We are in no case inferior to Rajya Sabha members. In another arguments it has been pleaded that it is necessary to extend the term of Lok Sabha for the proper implementation of the 20-Point Programme. But we see that in the name of 20-Point Programme workers and farmers are being put behind the bars under D.I.R. Do Government want to extend the term of Lok Sabha and Legislative Assemblies for this? Let there be election. Let us go before the public and tell them about our progressive policies.

Shri Bibhuti Mishra: If the 20-Point Programme is not implemented properly it will be said that we have not done that. It should have been done by extending the term for another one year. I, therefore, support what the Law Minister has said.

श्री एच० आर० गोखले : श्री रामावतार शास्त्री ने अपनी आपत्ति का उत्तर स्वयं ही दे दिया है। जब राज्य सभा का कार्यकाल 6 वर्ष है फिर लोक सभा और विधान सभाओं का कार्यकाल भी उतना ही क्यों न हो।

खण्ड 31, 32 और 33

Clauses 31, 32 *and* 33

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 31 और 32 के बाद खण्ड 33 को लेते हैं।

प्रो० एस० एल० सक्सेना : मैं अपना संशोधन संख्या 65 पेश करता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं अपने संशोधन संख्या 468 और 469 पेश करता हूं।

[श्री पी० पार्थसारथी पीठासीन हुए
Shri P. Parthasarathy in the Chair]

प्रो० एस० एल० सक्सेना : हमने, संविधान सभा में इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखा कि राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, चुनाव आयोग, नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहे तथा उनके अधिकारों और शक्तियों की सुरक्षा हो। लेकिन इस संशोधन द्वारा यह सभी शक्तियां प्रधान मंत्री को अंतरित की गई हैं। यह बहुत आपत्तिजनक है। यदि चुनाव आयोग कोई जांच करता है तो उसके निर्णयों का पालन किया जाना चाहिए। अत: मूल खण्ड को उसी रूप में रखा जाना चाहिए।

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन (अडूर) : विधेयक के प्रस्तावित खण्ड 33 में संसद् सदस्यों तथा राज्य विधान सभाओं के सदस्यों की अयोग्यताओं के बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि अयोग्यता सम्बन्धी सभी मामलों को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और उनका निर्णय ही अन्तिम होगा। न्यायपालिका से यह अधिकार छीन कर ठीक ही किया गया है और यह सही दिशा में एक कदम है हम इसका स्वागत करते हैं लेकिन कार्यपालिका को यह अधिकार सौंपने के हम पक्ष में नहीं हैं। यद्यपि राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष होता है फिर भी वह जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होता क्योंकि उसका चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता। वह केवल कार्यपालिका की इच्छानुसार ही कार्य नहीं करता अपितु उनके निर्देशों पर भी चलता है।

हमने अपने संशोधन में सुझाव दिया है कि ऐसे मामलों में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति संसद् अथवा राज्य विधान सभाओं को सौंपी जाये क्योंकि इन्हीं के सदस्य जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और जनता की भावनाएं इन्हीं के माध्यम से प्रतिबिम्बित होती हैं।

Shri Vijayapal Singh (Muzaffarnagar): It will not be possible to have justice if the President has the ultimate right to give judgement about the corrupt practices adopted in elections, because President will always be under the influence of the ruling party. So, this rights should be with the House to which he has been elected.

श्री एच० आर० गोखले: जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यद्यपि शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी फिर भी उसे चुनाव आयोग से परामर्श करना होगा तथा चुनाव आयोग को मामले की जांच करनी ही पड़ेगी। यह तो राष्ट्रपति से अपेक्षा की ही जा सकती है कि वह चुनाव आयोग के परामर्श की उपेक्षा नहीं करेगा।

मूलतः यह शक्ति न्यायालयों के पास थी। यदि न्यायालय को यह पता चलता है कि चुनाव के दौरान भ्रष्ट प्रक्रिया अपनाई गई है तो वह उस उम्मीदवार को छह वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहरा देते थे। हमें इसमें परिवर्तन करना है। कई मामलों में अपनाई जाने वाली भ्रष्ट प्रक्रियाएं इतनी मामूली होती हैं कि अयोग्य घोषित करना न्यायोचित नहीं होता। अतः किसी न किसी प्राधिकारी को यह निर्णय करने की शक्ति दी ही जानी चाहिए कि क्या अयोग्यता समाप्त कर दी जाये अथवा यदि समाप्त न की जाये तो अयोग्यता किस प्रकार की हो अथवा अयोग्यता घोषित कर दी गई है तो किस हद तक हटाई अथवा कम की जाये।

खण्ड 34

Clause **34**

प्रो० एस० एल० सक्सेना: मैं अपना संशोधन संख्या 66 पेश करता हूं।

श्री एच० आर० गोखले: मैं प्रस्ताव करता हूं :—

Page 9, *for* lines 41 and 42, *substitute*—

"committees of a House of such Legislature shall be those of that House, and of its members and committees, at the commencement of section 34 of the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, and as may be evolved by such House of the Legislature of a State, so far as may be, in accordance with those of the House of the People, and of its members and committees where such House is the Legislative Assembly and in accordance with those of the Council of States, and of its members and committees where such House is the Legislative Council." (447)

[पृष्ठ 9,—

पंक्ति 41 और 42 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाये**—

"(3) अन्य बातों में राज्य के विधान मण्डल के प्रत्येक सदन की तथा ऐसे विधान मण्डल के सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां वही होंगी जो संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 34 के प्रारम्भ पर उस सदन की तथा उसके सदस्यों और समितियों की हैं

और जो राज्य विधान मण्डल के ऐसे सदन द्वारा, यावत्शक्य, जहां ऐसा सदन विधान सभा है वहां, लोक सभा की तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के अनुसरण में और जहां ऐसा सदन विधान परिषद् है वहां, राज्य सभा की तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के अनुसरण में विकसित की जायें ।"] (447)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं अपना संशोधन संख्या 470 पेश करता हूं ।

प्रो० एस० एल० सक्सेना : खण्ड 34 के उपखण्ड (3) में "अथवा इसके द्वारा परिभाषित शब्द" जोड़े जायें ।

श्री एच० आर० गोखले : प्रस्तावित नये खण्ड का मुख्य उद्देश्य विद्यमान अनुच्छेद 194 जिसमें इंग्लैण्ड की संसद् के "हाउस आफ कामन्स" के बारे में उल्लेख है, में से विदेशी संसद् के उल्लेख को हटाना है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के इतने वर्षों के उपरान्त भी हमारे संविधान में एक विदेशी संसद् का उल्लेख किया जा रहा हैं जो कि बिल्कुल वांछनीय नहीं है ।

अत: हाउस काफ कामन्स के बारे में जो उल्लेख है उसे हटाया जा रहा है और इसके बजाय जो मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है उसके अनुसार इस संशोधी अधिनियम के लागू होने के दिन से जो विशेषाधिकार हैं या होंगे, वे बने रहेंगे ।

संसद् के विशेषाधिकारों सम्बन्धी संशोधनों और राज्य विधान सभाओं के विशेषाधिकारों सम्बन्धी संशोधनों में थोड़ा अन्तर है ।

राज्य विधान सभाओं को विशेषाधिकारों के मामले में हाउस आफ कामन्स की ओर नहीं देखना चाहिये । राज्य विधान सभाओं के मामले में उन्हें केवल लोक सभा के विशेषाधिकरों और विधान-परिषदों के मामले में राज्य सभा के विशेषाधिकारों को देखना चाहिये । अत: तीन परिवर्तन किये जा रहे हैं : एक तो हाउस आफ कामन्स शब्दावली को हटाया जा रहा है, दूसरे अपने विशेषाधिकार होंगे, तीसरे यह अपने विशेषाधिकारों के निर्धारण के मामले में उन्हें किसी अन्य देश से नहीं अपितु अपनी संसद् से मार्ग दर्शन प्राप्त करना चाहिये ।

Shri Jharkhande Rai (Ghosi): In my amendment to clause 34 I have said that instead of "be evolved" the words "laid down by law" should be substituted. The minister should not have any difficulty in accepting it. One cannot deny this fact that there may not be Congress Government in some states. So the law should be of the type which may not be misused. Government should create a feeling in the public that the ruling party is not afraid of elections. As such my amendment should be accepted.

श्री एच० आर० गोखले : मैं यह नहीं मानता कि यह संशोधन कांग्रेस के लाभ के लिये किया जा रहा है ।

जब पहले इस खण्ड पर चर्चा की गई थी तो यह पूछा गया था कि संविधान में क्या कोई ऐसा उपबन्ध होना चाहिये जिसके द्वारा संसद् और राज्य विधान सभायें अपने विशेषाधिकारों के मामले में कानून बनाने में समर्थ हो सकें । यह प्रश्न निश्चय ही विचार योग्य था और इस पर विचार किया जा रहा है ।

खण्ड 35

Clause 35

सभापति महोदय : खण्ड 35 के लिए कोई संशोधन नहीं है ।

खण्ड 36

Clause 36

सभापति महोदय : श्री विभूति मिश्र अपना संशोधन पेश करें ।

श्री विभूति मिश्र : मैं अपना संशोधन संख्या 92 पेश करता हूं ।

प्रो० एस० एल० सक्सेना : मैं अपना संशोधन संख्या 259 पेश करता हूं ।

श्री ओ० वी० अलगेशन (तिरुत्तनी) : मैं अपने संशोधन संख्या 330 और 331 पेश करता हूं ।

श्री एच० आर० गोखले : मैं प्रस्ताव करता हूं कि—

Page 10, *for* lines 1 to 10, *substitute*—

36. In article 217 of the Constitution, in clause (2),—

(a) for sub-clause (a), the following sub-clause shall be substituted, namely—

"(a) has for at least ten years held in the territory of India a judicial office or the office of a member of a tribunal or held in the territory of India any post, under the Union or a State, requiring special knowledge of law and acquired legal experience; or";

(b) in sub-clause (b), the word "or" shall be inserted at the end;

(c) after sub-clause (b), the following sub-clause shall be inserted, namely—

"(c) is, in the opinion of the President, a distinguished jurist.";

(d) in the *Explanation*, in clause (a), for the words "has held judicial office", the words "has held judicial office or the office of a member of a tribunal or held any post, under the Union or a State, requiring special knowledge of law and acquired legal experience" shall be substituted'.' (448)

अनुच्छेद 217 का संशोधन [36. संविधान के अनुच्छेद 217 के खण्ड (2) में, —

(क) उपखण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

(क) भारत राज्यक्षेत्र में कम से कम दस वर्ष तक कोई न्यायिक पद या किसी अधिकरण के सदस्य का पद अथवा भारत राज्य क्षेत्र में संघ या किसी राज्य के अधीन कोई ऐसा पद धारण न कर चुका हो जिसमें विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित हो और जिसने विधिक अनुभव प्राप्त न कर लिया हो ; अथवा

(ख) उपखण्ड (ख) में अन्त में "अथवा" शब्द अन्तःस्थापित किया जाएगा ;

(ग) उपखण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता न हो ।" ;

(घ) व्याख्या के खण्ड (क) में "न्यायिक पद धारण किया हो" शब्दों के स्थान पर "कोई न्यायिक पद धारण किया हो अथवा किसी अधिकरण के सदस्य का पद धारण किया हो अथवा संघ या किसी राज्य के अधीन कोई ऐसा पद धारण किया हो जिसमें विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित हो और जिसने विधिक अनुभव प्राप्त कर लिया हो" शब्द रखे जायेंगे ।" ।] (448)

Shri Bibhuti Mishra: I have observed that suspension of some employees by their Departments is stayed by the High Court under the influence of vested interests because Judges are this or that way related with them. Such type of activities on the part of the High Court Judges is earning bad name to the judiciary. It is with this view that I have tabled an amendment seeking to post a Judge in a State to which he does not belong. I think that the Government will not find it difficult to accept my amendment.

In addition, Government should also go into financial and political interests of the Judges. I would, therefore, request the Law Minister to accept my amendment in the larger interest of the judiciary and the country.

Prof. S. L. Saksena: This is an amendment to Article 217, which relates to the appointment of High Court Judges. People have lost faith in the Supreme Court after the supersession of three Judges and appointment of the present Chief Justice of India. I suggest that appointment of Judges should be made in the manner done in U.S.A. and it is only then that the confidence of the people in the judiciary will be restored and its stature enhanced.

श्री ओ० वी० अलगेशन : जो संशोधन मैंने दिया है उसका उद्देश्य है कि किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय में पांच वर्षों से अधिक समय तक कार्य नहीं करने देना चाहिये । यदि एक न्यायाधीश को एक न्यायालय में पांच वर्ष से अधिक समय तक काम नहीं करने दिया जाएगा तो इससे स्वस्थ न्यायिक परम्परा का निर्माण होगा । अनुच्छेद 222 के अन्तर्गत राष्ट्रपति देश के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का तबादला एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर सकता है ।

मेरे दूसरे संशोधन का सम्बन्ध उच्च न्यायालयों में होने वाले बिलम्ब से है । इस संशोधन के अनुसार यदि एक मामले पर किसी न किसी वजह से तीन साल से अधिक समय लगता है अथवा तीन वर्षों के भीतर उस पर निर्णय नहीं दिया जाता तो जिस न्यायाधीश के पास वह मुकदमा है, उसे बिलम्ब के कारणों को लिखित रूप में देना होगा । इस प्रकार न्यायालय के कार्यकरण पर उचित नियंत्रण किया जा सकेगा ।

इस खण्ड के बारे में विधि-मंत्री ने स्वयं एक संशोधन प्रस्तुत किया है । इसके अनुसार न्यायाधीश के पद पर किसी भी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकती है जिसने कि न्यायिक पद पर 10 वर्ष कार्य किया हो अथवा वह किसी 'ट्रिब्यूनल का समय रहा हो अथवा उसने केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के यहां किसी ऐसे पद पर कार्य किया हो जिसमें कानून का विशेष ज्ञान हो तथा

जिसे कानूनी अनुभव हो। पहली बार एक नई श्रेणी के व्यक्तियों को इसमें लाया जा रहा है, जो कि न्यायिक क्षेत्र के बिल्कुल बाहर है। अब वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं जिसने पहले किसी ऐसे पद पर कार्य किया हो जिसमें विधि का ज्ञान आवश्यक था। गैर-न्यायिक व्यक्तियों के लिये न्यायपालिका में प्रवेश पाने का समुचित स्थान बनाया गया है। मंत्री महोदय को इस पर पुनः विचार करना चाहिये।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं मंत्री महोदय द्वारा खण्ड 36 के बारे में पेश किये संशोधन के बारे में बोलना चाहता हूं।

सभापति महोदय : क्या आप संशोधन के बारे में उनके भाषण को नहीं सुनना चाहते ?

श्री सी० एम० स्टीफन : वे इसे पेश कर चुके हैं। यह एक गम्भीर मामला है। यह संशोधन अनुच्छेद 217 के सम्बन्ध में है जिसमें न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में उल्लेख किया गया है। मूल योग्यता के अनुसार कोई भी व्यक्ति न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिये तब तक योग्य न समझा जाएगा जब तक कि उसने 10 वर्षों तक किसी न्यायिक पद पर कार्य न किया हो अथवा वह कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता न रह चुका हो। मूल संशोधन के द्वारा उन्होंने यह भी व्यवस्था की है। अब एक न्यायविद की भी इस पद पर नियुक्ति की जा सकती है। अब यदि एक व्यक्ति जिसने पहले अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो और बाद में वह किसी ऐसे सरकारी पद पर नियुक्त हो गया हो जिसमें विशेष कानूनी ज्ञान की आवश्यकता पड़ती हो तो अधिवक्ता के रूप में कार्य करने की अवधि में वह सब वर्ष भी गिने जायेंगे जिनके दौरान उसने सरकारी पद पर कार्य किया है। सिद्धान्ततः यह बात गलत है।

उपखण्ड (क), जो न्यायिक पद से सम्बन्धित है, के बारे में दिये गये संशोधन में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति न्यायिक पद पर कार्य कर रसा है अथवा उसने किसी ट्रिब्यूनल में 10 वर्ष से अधिक समय तक कार्य किया है अथवा वह सरकारी पद पर रहा है तो उसकी नियुक्ति न्यायाधीश के पद पर की जा सकती है। उसके लिये अधिवक्ता होना आवश्यक नहीं है। यह एक बिल्कुल नई बात है और मूल संशोधन को बिल्कुल बदल दिया गया है। मूल योग्यता कानून की डिग्री नहीं अपितु उसके अधिवक्ता के रूप में कार्य करने की होनी चाहिये। मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। मूल सिद्धान्त को पूर्णतः त्याग दिया गया है और बिल्कुल एक नया संशोधन लाया गया है।

इस संशोधन को लाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। विधि-मंत्री को मूल खण्ड में यह संशोधन प्रस्तुत करने के बजाय उसी खण्ड को अपनाना चाहिये जो कि मूल विधेयक में दिया गया है।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गौहाटी) : संविधान (संशोधन) विधेयक ने न्यायपालिका की कुछ शक्तियों को कम किया है। यह होते हुये भी न्यायपालिका की स्वतन्त्रता बनी हुई है। स्वर्ण सिंह समिति ने भी इस बात का ध्यान रखा कि न्यायपालिका की स्वतन्त्रता और निष्ठा बनी रहे लेकिन इस नये संशोधन द्वारा किस भी सरकारी व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है, इस ओर गम्भीरता से ध्यान दिया जाना चाहिये। लोग यह कहेंगे कि हम गैर-कानून ढंग से नौकरशाहों को न्यायपालिका में घुसाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : इस संशोधन का उद्देश्य कार्यपालिका के व्यक्तियों को न्यायपालिका में शामिल करना है । अब तक हमने केवल उन्हीं लोगों को न्यायपालिका में लिया है जिन्होंने अधिवक्ता के रूप में कार्य किया है अथवा जो न्यायविद रहे हैं और हमारा विचार भी यही रहा है कि न्यायाधीश के पदों पर ऐसे ही व्यक्ति नियुक्त किये जाने चाहियें । लेकिन अब एक ऐसा तारीका खोजा जा रहा है जिसके द्वारा कार्यपालिका के लोगों की नियुक्ति भी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में की जा सकेगी । अतः मैं इसका विरोध करता हूं ।

Shri M. C. Daga (Pali): The appointment of Judges from the executive is against the law of natural justice and will defeat the very purpose of the amendment. It will not benefit the people. Moreover, objectives behind the amendment will not the fulfilled.

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : मैं समझता हूं कि यह संशोधन नीति निर्देशक सिद्धान्तों के विरुद्ध है जिसमें कि हमने कहा है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य अग्रसर होगा ।

मंत्री महोदय को यह स्पष्ट करना चाहिये कि क्या इस संशोधन में उल्लेखित ट्रिब्यूनल कोई भी ट्रिब्यूनल होगा अथवा केवल संवैधानिक ट्रिब्यूनल होगा और साथ ही वह यह बात भी स्पष्ट करे कि कानूनी अनुभव प्राप्त करने और न्यायिक क्षेत्र के विशेष ज्ञान से उसका तात्पर्य है । इस मामले पर स्वर्ण सिंह समिति में सविस्तार विचार हुआ था । हमने विचार-विमर्श किया था और यह महसूस किया था कि "न्यायिक पद धारण किया हो अथवा न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में पद धारण किया हो अथवा संघ अथवा राज्य सरकार के अधीन ऐसा पद धारण किया हो जिस में विधि की विशेष अर्हता अनिवार्य हो" शब्दों से गम्भीर पेचीदगियां हो सकती हैं । अनुच्छेद 217 उच्चन्यालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति से सम्बन्धित है, न्यायाधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति से नहीं । यदि किसी राजस्व न्यायाधिकरण अथवा श्रमिक न्यायाधिकरण के सदस्य की नियुक्ति की बात होती, तो यह बात समझ में आ सकती थी कि विधि के विशेष ज्ञान की जरुरत नहीं है, परन्तु उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में यह बात समझ में नहीं आती ।

अब नई योजना के अन्तर्गत उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों और राज्यों के कानूनों की संवैधानिकता के बारे में विचार करने का अधिकार होगा । अतः क्या फ़ौजदारी और दीवानी न्यायालयों से की जाने वाली सभी अपीलों से निपटने के लिये कानून का विशेष ज्ञान अपेक्षित नहीं है ? वर्तमान संशोधन के अनुसार कोई व्यक्ति या कोई अधीनस्थ कर्मचारी जिसे कानून का आधारभूत ज्ञान नहीं है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जा सकता है । यह एक विचित्र स्थिति है । क्या विधि मंत्री स्थिति को स्पष्ट करेंगे ?

श्री एच० आर० गोखले : मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि संविधान में कोई भी संशोधन विशेषकर इस प्रकार का संशोधन दबाव से नहीं किया जा सकता और न ही किसी नौकरशाह में इतनी ताकत है कि वह अपनी मर्जी से कोई संवैधानिक संशोधन बिना उच्चस्तर पर विचार कराये दबाव डाल कर करा ले । यह निर्णय सर्वोच्च स्तर पर लिया गया है । इस खण्ड के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों के जो विचार हैं उन की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा । एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति उसके अपने राज्य में नहीं की जानी चाहिए । ऐसा उपबन्ध करना संभव नहीं है । इस से कई कठिनाइयां

पैदा होंगी। बार के सदस्य इस पद पर नियुक्त नहीं होना चाहेंगे और हम अपने उच्च न्यायालयों के लिये उचित लोगों की नियुक्ति नहीं कर पायेंगे।

श्री अलगेशन ने न्यायालय में वादों को निपटाने में होने वाले विलम्ब का उल्लेख किया था। हम इस समस्या के प्रति सजग हैं।

श्री के० नारायण राव : मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस सुझाव पर विचार करें कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने ही राज्य में नियुक्त न किये जायें।

खण्ड 37 और 38

Clauses 37 and 38

सभापति महोदय : खण्ड 37 पर कोई संशोधन नहीं है। अब हम खण्ड 38 पर विचार करेंगे।

श्री बी० आर० शुक्ल : मैं अपने संशोधन संख्या 67, 68, 69, 70 और 71 पेश करता हूं।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं अपने संशोधन संख्या 123, 124, 125, 126, 127 और 130 पेश करता हूं।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : मैं अपने संशोधन संख्या 208 और 209 पेश करता हूं।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : मैं अपना संशोधन संख्या 434 पेश करता हूं।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं अपने संशोधन संख्या 471, 472 और 473 पेश करता हूं।

श्री मूल चन्द डागा : मैं अपना संशोधन संख्या 597 पेश करता हूं।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : मैं अपने संशोधन संख्या 598 और 599 पेश करता हूं।

श्री भोगेन्द्र झा : सभापति महोदय, विधेयक के खण्ड 38 का उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 226 का प्रतिस्थापन करना है। मैं समझता हूं कि यह संशोधन सही दिशा में किया गया है, क्योंकि 'किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिये' शब्दों के कारण कुछ कठिनाइयां पेश आती रही है तथा इस उपबन्ध को कई बार निहित स्वार्थों द्वारा जनसाधारण के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया है। परन्तु हमें ज्ञात है कि ये संशोधन अनुच्छेद 131-क और अनुच्छेद 226-क के उपबन्धों के अध्याधीन हैं। इन अनुच्छेदों के अन्तर्गत केन्द्रीय कानूनों को उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जा रहा है, चाहे उन से सम्बन्धित उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के व्यक्ति ही प्रभावित क्यों न होते हों। वित्तीय दृष्टि से उच्च न्यायालय तक पहुंचना उच्चतम न्यायालय की अपेक्षा आसान होता है। उच्चतम न्यायालय तक पहुंचना बहुत कठिन है। अतः यह उपबन्ध जनसाधारण के हित में नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने संशोधन पेश किये है। मेरे संशोधनों का उद्देश्य उच्च न्यायालय को बन्दी प्रत्यक्षीकरण परमादेश, प्रतिषेध अधिकार और उत्प्रेषण के रूप मे आदेश या लेख जारी करके मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार देना है। हम नीति निदेशक सिद्धान्तों को मूल अधिकारों से श्रेष्ठतर बना रहे हैं। लेकिन इस का निर्णय न्यायपालिका को करना होगा। धनी वर्ग के लोग देश के प्रमुख वकीलों की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। वे उनकी फ़ीस चुका सकते हैं। वे यह सुनिश्चित

करने का प्रयास करेंगे कि उनके हितों की रक्षा हो और न्यायालय उनके पक्ष में निर्णय दे। अतः इस मामले की जांच की जानी चाहिए।

इस खण्ड के उपखण्ड से समाज के कमजोर वर्गों को जहां तक उनकी नागरिक स्वतन्त्रता और मूल अधिकारों का सम्बन्ध है, कोई राहत प्राप्त नहीं होगी। यह खण्ड धनी वर्गों के पक्ष में है तथा आम जनता के हितों के विरुद्ध है।

अतः, मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह मेरे संशोधन संख्या 471, 472 और 473 पर समुचित रूप से विचार करें।

श्री बी० आर० शुक्ल : मैंने संशोधन दिया है कि "समाधान" शब्द के बाद "निवारण" शब्द का अन्तःस्थापन किया जाये।। "समाधान" शब्द का अर्थ है कि कुछ क्षति हो जाने पर उसे ठीक किया जाता है, जबकि 'निवारण' शब्द का यह अर्थ है कि किसी ऐसी कार्यवाही से, जो किसी कानून या नियम के प्रतिकूल की गई है, क्षति पहुंचने की सम्भावना है। अतः किसी आदेश या कानून का उल्लंघन करने से उत्पन्न परिस्थिति से निपटने के लिए "समाधान" शब्द का ही उपयोग करना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसी उल्लंघनात्मक कार्यवाही से वास्तव में कोई विशेष क्षति तो हुई नहीं है, बल्कि होने की सम्भावना हो जाती है। इसलिए "निवारण" शब्द जोड़ा जाना चाहिए।

अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत रिट दायर करने का अधिकार कम नहीं किया गया है तथा इसके कार्यक्षेत्र को स्पष्ट कर दिया गया है। परन्तु साथ ही इस अधिकार का प्रयोग करने में यह परन्तुक जोड़ दिया गया है कि 'यदि समाधान के अन्य उपाय हैं, तो रिट नहीं की जायेगी'। 'अन्य समाधान" शब्दों के स्थान पर "अन्य तुरन्त और प्रभावी समाधान" शब्द अन्तःस्थापित किये जाने चाहिएं, क्योंकि जब तक उन सभी मामलों के, जहां प्रभावी और तुरन्त समाधान करने की व्यवस्था नहीं है, कार्यक्षेत्र का विस्तार नहीं किया जायेगा, केवल "समाधान" शब्द से न्याय नहीं मिलेगा।

श्री सी० एम० स्टीफन : (मुवत्तुपुजा): श्रीमन्, अनुच्छेद 226 के उपखण्ड (ख) में एक नया विचार प्रस्तुत किया गया है। पहले यह भाग-3 या अन्य प्रयोजन के लिये था। अब 'अन्य प्रयोजन' शब्दों का लोप कर दिया गया है। हम कह चुके हैं किसी विशेष प्रकार की क्षतिपूर्ति करने के लिये।

जब आप किसी कानून या संशोधन के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करते हैं, जिसके कारण किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है और यदि यह अन्याय गम्भीर है तो यह असाधारण उपचार उपलब्ध होना चाहिये। अतः मैंने सुझाव दिया है कि 'किसी विशेष क्षति' शब्दों के स्थान पर 'व्यथा' शब्द रखा जाना चाहिये।

अनुच्छेद 226 का उपखण्ड (3) अत्यन्त आपत्तिजनक भाग है। यदि किसी अन्य कानून में किसी समाधान की व्यवस्था है और उस कानून से कष्ट निवारण होता है, तो अनुच्छेद 226 की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः अनुच्छेद 226 को हटा देना ही उचित होगा क्योंकि इससे किसी व्यक्ति का कष्ट निवारण होने की सम्भावना नहीं है। अतः मैंने सुझाव दिया है कि कष्ट निवारण का उपबन्ध समान रूप से प्रभावी होना चाहिये।

उपखण्ड (6) में व्यवस्था की गई है कि कोई ऐसा अन्तरिम आदेश नहीं दिया जायेगा जिसके कारण किसी लोक महत्व के मामले की या कारावास से दण्डनीय किसी अपराध की जांच में या किसी लोकोपयोगी संकर्म या परियोजना के निष्पादन की कार्यवाही में विलम्ब होगा। इस सम्बन्ध में मेरा

सुझाव है कि इस व्यवस्था को इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाना चाहिये कि यदि न्यायालय, लिखित रूप में बताये गये कारणों से सन्तुष्ट है कि याचिका के लिये एक प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो वहां अन्तरिम आदेश जारी किया जा सकता है ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गौहाटी) : अनुच्छेद 226 से देश के न्यायिक इतिहास में अत्यधिक भ्रान्ति पैदा हो गई है और अनेक सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों के मार्ग में अवरोध पैदा हो गया है । अत: इस अनुच्छेद को पुन: तैयार किया जाना चाहिये और इसमें वह बात स्पष्ट की जानी चाहिये जो सरकार चाहती है ताकि इससे सामाजिक–आर्थिक प्रगति में रुकावट पैदा न हो । अनुच्छेद 226 का यह प्रयोजन है कि जहां कहीं मूल अधिकारों का अतिक्रमण हो, या संविधान के किसी अन्य उपबन्ध का या किसी सांविधिक उपबन्ध का उल्लंघन हो वहां उन कष्टों को दूर करने के लिए एक मंच तैयार किया जाना चाहिये ।

लेकिन इस रूप में इस खण्ड से बहुत भ्रान्ति पैदा हो गई है । फिर भी यदि संविधान या किसी अधिनियम अथवा अध्यादेश के किसी उपबन्ध का उल्लंघन हो तो इस अनुच्छेद के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को व्यथा निवारण करने का अधिकार नहीं है क्योंकि सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत नागरिक मुकदमे के रूप में वैकल्पिक समाधान सदैव उपलब्ध रहता है । अत: उन मामलों को छोड़कर जहां सिविल प्रक्रियाओं पर प्रतिबन्ध है, अन्य मामलों में अनुच्छेद 226 लागू नहीं होगा । यदि सरकार यह महसूस करती है कि यह खण्ड मूल अधिकारों को लागू करने के लिये ही नहीं है बल्कि संविधान के अन्य उपबन्धों तथा सांविधिक उपबन्धों के अतिक्रमण होने की स्थिति के लिये भी है, तो इसके लिये स्पष्ट प्रधिकार दिये जाने चाहियें । लेकिन एक हाथ से अधिकार देकर दूसरे हाथ से वापस नहीं ले लेने चाहियें । उपखण्ड (3), जैसा कि यह अब है अनुच्छेद 226 को प्रभावी होने देगा । इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये ।

इसमें उपखण्ड 6 में प्रावधान किया गया है कि कुछ मामलों में रोकादेश नहीं दिया जायेगा । यदि कोई सरकारी निगम कोई आदेश जारी करता है और यह कहता है कि हमने अपना कार्य-सम्पादन के लिए ऐसी कार्यवाही की है, चाहे नागरिकों के प्रधिकारों पर इसका कितना ही अधिक प्रभाव क्यों न पड़े, तो न्यायालयों को रोका देश देने का अधिकार नहीं है । ऐसे अनियंत्रित अधिकार नहीं दिये जाने चाहियें, क्योंकि ऐसे व्यापक खण्डों से जनता के लिये बहुत सी कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी ।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी (चित्तूर): यह बात सही है कि इस नये अनुच्छेद 226 में व्यापक संशोधन करने की आवश्यकता है । उपखण्ड (3) छोटी-छोटी बातों के लिये उच्च-न्यायालय में जाने पर रोक लगाता है । यह प्रतिबन्धात्मक खण्ड है । इससे मूल अधिकारों को लागू किया जा सकता है । दूसरे, यदि सारवान क्षति हुई है तो रिट दायर की जा सकती है । तीसरे, यदि न्याय की सारवान निष्फलता हुई है तो भी रिट दायर की जा सकती है । लेकिन किसी निर्धन व्यक्ति को केवल इसलिये इस खण्ड के लाभ से क्यों वंचित किया जाये कि इसके लिये वैकल्पिक उपचार मौजूद है । सभी उपचार प्रभावी नहीं होते या समान रूप से प्रभावी नहीं होते । प्रत्येक नागरिक को अपनी व्यथा-निवारण के लिये वही उपचार करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिये जो उसे सस्ता लगे और सहज सुलभ हो । अत: हमारी शंका है कि इस अनुच्छेद के अधीन न्यायालय के क्षेत्राधिकार का सुधार करने या उस पर प्रतिबन्ध लगाने से बुरे के साथ अच्छा भी समाप्त हो जायेगा । अत: इस अनुच्छेद पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये ।

रोकादेश जारी करने के अन्तरिम आदेश पर भी भारी प्रतिबन्ध लगाये गये हैं । यदि अन्य शर्तें जैसे प्रतिवादी को नोटिस देना या प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर देना, 14 दिन के अन्दर पूरी नहीं हुई तो अन्तरिम आदेश समाप्त माना जायेगा । लेकिन प्रतिवादी को यह सुविधा देना वादी के हाथ में

नहीं है। यदि उच्च न्यायालय 14 दिन मे यह शर्तें पूरी नहीं कर सकती तो इसके लिये वादी को नुकसान क्यों हो। मेरा संशोधन है कि इस 14 दिन की अवधि को बढ़ा कर 30 दिन कर दिया जाये। हो सकता है कि 30 दिन की यह अवधि भी कम हो। अत: विधि मन्त्री को इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये।

Shri M. L. Daga (Pali): In the proposed amendment to Article 226, it has been provided that no petition shall be entertained of any other remedy for such redress is provided for by or under any other law for the time being in force. But if no effective remedy is available what will happen to the people? If this amendment is carried, the doors for justice will be closed to the people. If a person wishes to go to a court of law for seeking redress he should be allowed to do so.

श्री प्रियरंजन दास मुंशी (कलकत्ता-दक्षिण): अनुच्छेद 226 का कार्यक्षेत्र बहुत ही सीमित है। यदि इसका पूणत: लोप कर दिया जाए तो बेहतर होगा क्योंकि हमारे स्वतंत्र भारत के इतिहास में इस विशेष अनुच्छेद का देश के सभी सामाजिक, आर्थिक कायक्रमों के विरुद्ध उपयोग किया गया है।

विधि मंत्री कुछ ऐसी बातों को लाना चाहते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और उन्हें निकालना चाहते हैं जो सम्पत्ति अर्जन आदि करने में बाधक सिद्ध हुई हैं।

संशोधन अनुच्छेद 226 के खण्ड 6 में यह उपबन्ध किया जा रहा है कि ऐसी किसी कार्यवाही में अन्तरिम आदेश जारी नहीं किये जायेंगे जहां ऐसे आदेश से लोक महत्व के मामले या जांच कार्य में बिलम्ब होता हो। यह भी व्यवस्था की जानी चाहिये कि जहां बटाई की भूमि वाले और खेतीहर मजदूरों के विरुद्ध अन्तरिम आदेश नहीं दिये जायेंगे।

श्री बसन्त साठे (अकोला): प्रधान मंत्री ने वाद-विवाद में हस्तक्षेप करते हुये स्पष्ट किया है कि सरकार किसी व्यक्तिगत अधिकार को कम नहीं करना चाहती है। सम्भवत: विपक्ष द्वारा लगाय गया यह आरोप उनके मन में था कि अनुच्छेद 226 के हटाये जाने से उच्च न्यायालय के अधिकार समाप्त हो जायेंगे और जनता को अब कोई राहत नहीं मिलेगी।

संशोधित अनुच्छेद 226 में भाग–3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू करने और किसी सारवान क्षति के प्रतितोष की व्यवस्था की गई है। यह सराहनीय उपबन्ध है। लेकिन संशोधित अनुच्छेद के खण्ड 3 में निर्दिष्ट उपबन्ध से हम प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासनों को झुठला रहे हैं।

हम देश में यदि गरीब लोगों को अपनी किसी सारवान क्षति के प्रतितोष के लिये उच्च-न्यायालय में जाने से रोकते हैं तो इससे नौकरशाही का आतंक फैल जाएगा क्योंकि यह तर्क दिया जा सकता है कि इस के लिये अन्य समाधानों का उपबन्ध है। यह कानून दोषपूर्ण होगा क्योंकि यहां बहुत से संरक्षण हैं और अनिश्चित रोकादेश नहीं दिया जा सकता। इसके बाद व्यक्ति को यह सन्तोष दिलाना होगा कि वह सारवान क्षति है। अत: इन सभी संरक्षणों के होते हुये भी हमें यह समाधान नहीं छीनना चाहिये।

Shri Ishaque Sambhali (Amroha): In Clause 38 the High Courts have been barred from issuing stay orders in the matter of public utility works. They

should also be barred from issuing stay orders in matters wherein implementation of Directive Principles is involved. If it is not done, you will not be able to achieve your aim.

श्री एच० आर० गोखले : प्रस्तावित अनुच्छेद 226 के प्रथम खण्ड का उल्लेख किया गया है। इसके भाग (ख) और (ग) तथा खण्ड (1) का भी उल्लेख किया गया है। लेकिन भाग (क) पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

स्वर्ण सिंह समिति के प्रतिवेदन का भी उल्लेख किया गया है। वस्तुतः स्वर्ण सिंह समिति ने ही यह सिफ़ारिश की थी 'कि किसी अन्य प्रयोजन' शब्दों का लोप किया जाए। लेकिन उसने इन दो खण्डों को इस रूप में, जिस रूप में ये सदन में प्रस्तुत किये गये हैं, सिफ़ारिश नहीं की है। फिर भी स्वर्णसिंह समिति का यह आशय नहीं है कि नागरिकों को उनका कष्ट निवारण किये बिना ही उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाये। अब उन्होंने कहा है 'न्याय की सारवान निष्फलता।' न्याय की सारवान निष्फलता शब्दों की उच्चतम न्यायालय ने विस्तार से और कई बार विशद व्याख्या की है और इन शब्दों का कई अधिनियमों तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता में भी प्रयोग किया गया है। न्याय की सारवान निष्फलता की व्याख्या न्यायिक या अर्ध-न्यायिक मामलों का उल्लेख करने के लिये की गई है।

[श्री इसहाक सम्भली पीठासीन हुये।
Shri Ishaque Sambhali *in the chair*]

अतः यह निष्कर्ष कि यदि न्याय की सारवान निष्फलता है तो मामले की जांच नहीं हो सकती और इसे वहां ही लागू किया जा सकता है जहां कि क्षति हुई है। लेकिन यह न्यायिक अथवा अर्ध-न्यायिक संकल्प का परिणाम नहीं है। अतः यह आवश्यक है कि दो खण्ड बनाने सम्बन्धी स्वर्णसिंह समिति की सिफ़ारिशों का आशय निष्फल न हो। प्रथम, जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है कि उसकी कार्यवाही या गलतियों को देखना, लेकिन जो न्यायिक अथवा अर्ध-न्यायिक संकल्प के फलस्वरूप नहीं और उसके लिये खण्ड 3(ख) में सावधानी बरती गई है, और फिर ऐसे मामलों में जहां न्यायिक अथवा अर्ध-न्यायिक संकल्प रहा है और जहां खण्ड (ग) मे उसके लिये सावधानी, बरती गई है।

जहां तक खण्ड (ख) का सम्बन्ध है, सारवान क्षति की उच्चतम न्यायालय द्वारा अनेक बार व्याख्या की गई है। सारवान क्षति प्रथम भाग में होगी और यह क्षति की गहनता पर निर्भर करेगी। कोई क्षति एक व्यक्ति के लिये तो सारवान हो सकती है लेकिन वही क्षति दूसरे व्यक्ति के लिये सारवान नहीं हो सकती। क्षति की सारवानता का निर्धारण शिकायत की गम्भीरता और उस विशेष मामले के तथ्यों से किया जाएगा। अतः इसकी अनेक बार व्याख्या होने पर भी अब इसके लिये कोई कठोर नियम नहीं बना सकते।

फिर न्याय की सारवान निष्फलता या न्याय की निष्फलता की इस अर्थ में व्याख्या की गई है जिसका कि न्यायिक अथवा अर्ध-न्यायिक संकल्प के आधार पर उल्लेख किया जा सकता है अतः हमें न्यायिक या अर्ध-न्यायिक संकल्प या कार्यपालिका की कार्यवाही के परिणामस्वरूप

हुई क्षति को ध्यान में रखना होगा। खण्ड 1 के दोनों उपखण्ड (ख) और (ग) न केवल स्वर्णसिंह समिति की सिफारिश से भिन्न है अपितु ये सिफारिश को निष्फल बनाने से भी रोकते हैं और उन्हें कार्यरूप देने वाले उपबन्ध बनाते हैं। अतः पहली धारणा कि हमने यह स्वयं ही किया है और इस लिये हम स्वर्णसिंह समिति के प्रतिवेदन से दूर हट गये हैं, गलत है।

क्षति निवारण के बारे में प्रश्न उठाया गया है। यह कहा गया है कि क्षति पहुंचाने के बाद उसके उपचार का क्या लाभ है। यह तर्क दिया गया है कि क्या आप न्यायालय जाकर यह कह सकते हैं कि क्षति की धमकी दी गई है और यदि सम्भावित क्षति को दूर नहीं किया गया तो वादी के लिए मामला बहुत मुश्किल हो जाएगा ? मैं आपसे इस बात के लिए सहमत हूं कि मकान गिराये जाने या परिसर को अर्जित किये जाने के बाद न्यायालय में जाने का कोई लाभ नहीं है। सम्भावित क्षति को भी दूर किया जा सकता है। मैं इस मामले पर पुनर्विचार करूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सम्भावित क्षति या कुछ ऐसे शब्द जोड़े जा सकते हैं।

श्री एच० आर० गोखले : मैं इस पर विचार करूंगा। मैंने मामले को समझ लिया है और अपनी प्रतिक्रिया भी बताई है। विचार करने के बाद यदि कोई परिवर्तन आवश्यक हुआ तो मैं वह आपके समक्ष लाऊंगा।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं आपका ध्यान 'कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार करना' शब्दों की ओर दिलाता हूं।

श्री एच० आर० गोखले : यह सोचना गलत है कि उपजीविका, व्यापार या कारबार करने का अर्थ कोई बहुत बड़ा व्यापार करना है। छोटे पेशे भी हो सकते हैं, फिर भी वे पेशे हैं बहुत छोटी किस्म का भी व्यापार हो सकता है। वास्तव में छोटे व्यापारी अधिक हैं। इस प्रकार के उपबन्ध से व्यापार या पेशे को कोई लाभ नहीं होगा।

मेरे विचार में अनुच्छेद 226 इतना खराब नहीं है जितना प्रतीत होता है। मैं तो यह कहूंगा कि न्यायपालिका से सम्बन्धित सभी अधिकार न्यायपालिका को प्राप्त हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : मेरे संशोधन संख्या 473 का उद्देश्य पंक्ति 11 से 13 का लोप किया जाना है। उच्च न्यायालय अन्तरिम आदेश जारी कर सकता है।

श्री एच० आर० गोखले : मेरे विचार में यहां कुछ गलतफ़हमी है। मैंने इस खण्ड पर विचार किया है। मेरा विचार है कि आप खण्ड 38 के उपखण्ड 5 का उल्लेख कर रहे हैं।

अधिकांश मामलों में नोटिस का समय 14 दिन है। यदि नोटिस अनुच्छेद 226 के अधीन नहीं दिया जाता तो आप किसी आदेश के विरुद्ध रोकादेश नहीं प्राप्त कर सकते। आमतौर पर ये मामले सरकार के विरुद्ध होते हैं। 14 दिन का नोटिस सरकार के लिये न्यायालय में आने के लिये उचित समझा जाता है। वास्तव में यह सरकार के विरुद्ध है।

यह धारणा गलत है कि नागरिक को क्षति पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसके विपरीत इन उपबन्धों से नागरिकों को विलम्बकारिता से राहत मिलेगी।

खण्ड 39 (नये अनुच्छेद 226-क का अन्तःस्थापन)

Clause 39 (Insertion of new art. 226A)

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं संशोधन संख्या 128 पेश करता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं संशोधन संख्या 474 पेश करता हूं।

श्री सी० एम० स्टीफन : नये अनुच्छेद 226(क) के अन्तर्गत उच्च न्यायालय उस अनुच्छेद के अधीन किसी कार्यवाही में किसी केन्द्रीय विधि की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं करेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार राज्य की किसी राज्य विधि या भारत में किसी विधि के अधीन सीमित होगा; जबकि मेरे संशोधन में यह उपबन्ध है कि उच्च न्यायालय किसी राज्य के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार से बाहर किसी राज्य कानून या केन्द्रीय विधि की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं करेगा।

श्री एच० आर० गोखले : पहली बात तो यह है कि अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत उस क्षेत्र में जहां वाद-विवाद उठा है, समायाचिका दायर की जा सकती है। अतः यदि कोई वाद कारण राज्य की विधि को आकर्षित करता हो अथवा वह महाराष्ट्र में उठा हो तो उसका क्षेत्राधिकार वहीं तक सीमित होगा। इसके लिये संविधान में एक निश्चित खण्ड है। इस पर सभी वर्तमान प्रतिबन्ध लगाये जा सकते हैं।

[श्री सी० एम० स्टीफन पीठासीन हुए
Shri C. M. Stephen *in the Chair*]

Shri B. S. Bhaura (Bhatinda): We have given an amendment saying that only those Central laws should be excluded from the jurisdiction of High Courts, which are concerned with the implementation of Principles enshrined in Part-IV of the Constitution so that there may not be any difficulty or hurdle in the implementation of progressive social and economic programmes. But so far as Central laws such as Bonus Act or the Industrial Disputes Act are concerned, and which affect the common and poor people, the High Courts must be empowered to deal with these laws.

श्री एच० आर० गोखले हैं इस सुझाव को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। इसका आशय तो बहुत अच्छा है लेकिन यह स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इससे बहुत अधिक मामले खुलेंगे और वह प्रयोजन ही समाप्त हो जायेगा जिसके लिये यह संशोधन लाया गया है।

खण्ड 40, 41 और 42

Clauses 40, 41 and 42

सभापति महोदय : अब हम खण्ड 40 लेते हैं। संशोधन संख्या 98—श्री शंकर राव सावन्त उपस्थित नहीं हैं। संशोधन संख्या 129 और 186—श्री सी० एम० स्टीफ़न पेश नहीं कर रहे हैं। संशोधन संख्या 284—श्री एस० एन० मिश्र उपस्थित नहीं हैं। खण्ड 41 पर कोई संशोधन नहीं है। अब हम खण्ड 42 लेते हैं। संशोधन संख्या 94—श्री शंकर राव सावन्त उपस्थित नहीं हैं। संशोधन संख्या 187—श्री सी० एम० स्टीफ़न अपना संशोधन पेश नहीं कर रहे हैं। संशोधन संख्या

[सभापति महोदय]

222--श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी उपस्थित नहीं हैं। सशोधन संख्या 243 और 244-श्री के० सूर्य नारायण उपस्थित नहीं हैं। संशोधन संख्या 340--श्री मूल चन्द डागा पेश नहीं कर रहे हैं। संशोधन संख्या 586--श्री प्रिय रंजन दास मुंशी पेश नहीं कर रहे हैं।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

65 वाँ प्रतिवेदन

निर्माण, आवास और संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का 65वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

तत्पश्चात लोक सभा सोमवार, 1 नवम्बर, 1976 / 10 कार्तिक, 1898 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, November 1, 1976|Kartika 10, 1898 (Saka)

म० प्र० भा० स० मु०—को० स० III—2158 एल० एस०—4-12-76—173